

**झाँसी जिले में
ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी योजना
एक मूल्यांकन**

[झाँसी जनपद के संदर्भ में]


एम० फिल०
ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता
पाठ्यक्रम की आंशिक

प्रस्तुत :
लघु शोध प्रबन्ध

पर्यवेक्षक :
डा० श्रीराम अग्रवाल
उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष

प्रस्तुतकर्ता :
कु० लविता नारायण
छात्रा-एम० फिल०

१९८८-८९



**ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी [३० प्र०]**


प्रमाणित किया जाता है कि कु० लविता नारायण छात्रा सम०किल०ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झोंसी में " ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी योजना" एक मूल्यांकन झोंसी जनपद के संदर्भ में पर एक लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झोंसी को सम०किल० उपाधि हेतु अग्रप्रेषित किया गया है।

अध्ययन कार्य का अंश किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस उपाधि हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया है।

पुनश्च प्रमाणित किया जाता है कि यह अध्ययन कार्य इनके दुबारा सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया गया है। और ये इससे पूर्णतः भिन्न है।

स्थान:- झोंसी

दिनांक:-


पर्यवेक्षक,

अन्वेष प्रबन्धा को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है । पहला अध्याय । पूर्णतया परिचय सम्बन्धी है । दूसरा अध्याय "ग्राम्य विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को भूमिका से सम्बन्धित है । तीसरा अध्याय, झंसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम से सम्बन्धित है । चौथा अध्याय, झंसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण से सम्बन्धित है । पाँच अध्याय, पूर्णतया समस्याएँ सुझाव एवं निष्कर्ष से सम्बन्धित है ।

इस अध्ययन क्रम को अवधि में मैंने अनेक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं और आर्टिकल की सहायता प्राप्त की है । एवं विशिष्ट रूप से मैं पर्यवेक्षक, डा० श्री राम अग्रवाल , उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष और श्री राजकुमार सिंह, प्राध्यापक, डा० अलोपीप्रसाद श्रीवास्तव, उपाचार्य की मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ । जिन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक शोध कार्य में अमानवीय सहयोग और कुशल मार्ग दर्शन दिया है ।

साथ ही मैं जिला ग्राम्य विकास अधिकरण झंसी के अधिकारियों को अनेक असोम मूल्यावान समय में भी मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

झॉसी जिले में
ग्रामीण श्रमिक रोजगार वकूबबफ गारंटी योजना

- एक -मूल्यांकन-

पृष्ठ संख्या

अध्याय एक

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम परिचय	1	22
--	---	----

अध्याय दो

ग्राम्य विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की भूमिका	23	57
---	----	----

अध्याय तीन

झॉसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	58	73
--	----	----

अध्याय चार

झॉसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण	80	92
---	----	----

अध्याय पांच

समस्याएँ एवं सुझाव	93	104
--------------------	----	-----

अध्याय एक

1.1	योजना अवधि में रोजगार	8 ए
1.2	ग्रामीण बेरोजगार में व्यवसाय वर्ग	10
1.3	कार्यकारी चकों में आकार के अनुसार - ग्रामीण परिवारों का विवरण	11
1.4	ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए बेरोजगार की दर १ 1970-71 १ में	12
1.5	टारगेट ग्रुप ओरिमेंटड स्कीम द्वारा रोजगार सृजन	14
1.6	उत्पादित रोजगार	16

अध्याय दो

2.1	छठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्य निष्पादन	
2.2	छठी योजना में परितंपत्तियों का सृजन	
2.3	वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कार्य निष्पादन	
2.4	विगत वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा	
2.5	वर्ष 1988-89 के दौरान सामाजिक वानिकी के कार्यों एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के लाभार्थ कार्यों सहित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यों की वार्षिक योजना	
2.6	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी वार वार्षिक कार्यवाही योजना	
2.7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की वर्ष 1988-89 की विकास छण्डवार वार्षिक कार्यवाही योजना	

अध्याय तीन

3.1	भौतिक स्तरीय कार्य	
3.2	वार्षिक राशि की आवश्यकताएँ १ वित्तीय केसिंग १	
3.3	खाद्य पदार्थ की अनुमानित लागत	
3.4	ग्रामीण टैकों का खीदना व गहरा करना	
3.5	जनपद स्तरीय पंचायत घर का निर्माण	

-
- 3.6 जनपद झांसी में पंचायत घर एवं सामुदायिक केन्द्र और सामाजिक वानिकी के निर्माण को अनुमानित लागत
- 3.7 पंचायत घर
- 3.8 जिला झांसी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्य क्रम 1988-89 को योजना
- 3.9 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
- 3.10 योजना का वार्षिक प्लान कई योजनाओं के तहत जो कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जायेगे वर्ष § 1988-89§
- 3.11 §ऐनक्सटर -I§ खेलार योजना
- 3.12 §ऐनक्सटर-II§ खेलार योजना
- 3.13 §ऐनक्सटर-III§ गुरतराय योजना
- 3.14 योजना का वार्षिक प्लान नई योजनाओं के तहत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के द्वारा किये जायेगे § 1988-89§
-

अध्याय चार

- 4.1 आवासीय भवनों का आगणित मूल्य
- 4.2 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले आवासों का आगणान
- 4.3 24 आवासों के समूह के लिए आवश्यक संसाधनों का आगणान §बुन्देलखण्ड क्षेत्र§
- 4.4 प्रशासनिक व्यवस्था
- 4.5 निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास परिषद् के अधीन झांसी मण्डल का निर्धारण §झांसी मण्डल§

अध्याय-एक
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी
कार्यक्रम परिचय

भारत में गरीबी की समस्या आज ही नहीं अपितु एक चिह्नतन समस्या है। भारत गांवों का देश है। यहाँ कि अर्थ व्यवस्था पहले भी कृषि प्रधान थी और आज भी है। इस देश की अधिकांश जनता आज भी अपने और परिवार के जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सम्बन्धित ग्रामीण व्यवसायों पर निर्भर करती है। इन वास्तविकताओं के अतिरिक्त भी यह एक नियम सत्य है, कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितनी प्राथमिकता औद्योगिकरण एवं शहरों के आधुनिकरण को प्रदान की गई शहरी ग्रामीण क्षेत्र तथा जनसंख्या के अनुपात में उतना महत्व ग्रामीण विकास के लिए प्रदान नहीं किया गया। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की नीति एवं प्राथमिकताएँ कृषि प्रधान थी, पर इसके पूर्व की इस योजना के कार्यक्रम ग्रामीण आर्थिक प्रोन्नति की आधारशिला तैयार कर सके, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी प्राथमिकताएँ व नीतियों में आमूल परिवर्तन कर उद्योग प्रधान निर्धारित कर दी गई। छठे दसक की बहुवर्धित "हरित क्रान्ति" के चमत्कार देश के कुछ ऐसे हिस्सों तक ही सीमित रहे, जहाँ पहले ही काफी अधिक विकास हो चुका था। इस स्थिति में देश के कृषि एवं ग्राम्य विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन ही उत्पन्न किया अब तो हरित क्रान्ति के नाम पर किए गए कृषि के रसायनीकरण के दृष्टि परिणामों की भी पर्याप्त चर्चा होने लगी है। इसी बीच लघु एवं कुटीर उद्योगों के व्यापक बिखराव तथा ग्रामीण औद्योगिकरण की भी काफी योजनाएँ बनी परन्तु कुल मिलकर इस हेतु दी गई तमाम सहकारी सुविधाओं का लाभ भी आस पास के मध्यम वर्गीय शहरों में स्थापित लघु तथा मध्यमवर्गीय उद्योगपतियों ने ही प्राप्त किया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसमें मात्र अल्पकालीन अप्रशिक्षित श्रमिक होने का ही सौभाग्य अधिक प्राप्त हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को भूमि पर बढ़ते हुए दबाव साहूकारों और जमींदारों का शोषण पृवृत्ति व शहरी जिन्दगी के आकर्षण के कारण जब ग्रामीण जनसंख्या एवं औद्योगिकरण केन्द्रों के "सफ़ सुधरे तथस्त सम्य" शहरी जीवन को "दूषित" करने लगी तब लोगों का ध्यान गांवों के कथित "विकास" की ओर

गया। हमारे राज नेताओं तथा योजनाकारों को भी तेजी से इस तथ्य का अहसास हुआ कि ग्रामीणों का शहरों की ओर यह पलायन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुलता से बिखरे प्राकृतिक साधनों के अप्रयुक्त रहने की समस्या बढा रहा है, वहीं शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के सीमित सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को दोहरे असन्तुलन में पीसकर रख सकती है। इस असन्तुलन को दूर करने का एक ही उपाय सम्भव है तब यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य ग्रामवासियों को गरीबी दूर करने तथा उन्हें साहूकारों तथा जमींदारों के चुंगुल से छुडाकर स्वावलम्बी बनाने की ऐसी योजना तैयार की जाए, जिसके द्वारा स्थानीय साधनों का अधिकारिक प्रयोग करते हुई ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकतानुसार रोजगार एवं सम्मान जनक जीवन यापन के साथ उपलब्ध करने में सफल हो।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 1983-84

के दौरान प्रारम्भ किया गया क्योंकि ग्रामीण निर्धनता की मूल समस्या को विशेषकर भूमिहीनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अधिक स्पष्ट एवं सुनिश्चित नीति की आवश्यकता थी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा सुलभ से उपलब्ध हो सके। भूमिहीन व्यक्तियों के पास कोई अन्य साधन रहने के लिए नहीं बल्कि जो रोजगार विभिन्न प्रकार की इकाइयों व्दारा प्रदान किया गया, उनमें से एक इकाई है जो श्रमिकों के व्दारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य एवं कार्य प्रमाणी एक दूसरे के परिपूर्ण है। ग्रामीण विकास के कार्य में बेरोजगारी की एक महत्वपूर्ण समस्या है। यह उत्पादित शक्ति को निरर्थक करता है। गरीबी और बेरोजगारी दो किसी राष्ट्र को अविकसित बनाने की मुख्य कारण है, परन्तु यह एक दूसरे से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणियों के विचार है। तीसरा विचार यह है कि एक गरीबी का प्रकाशन है, कि वास्तव में यह एक आर्थिक विकास की समस्या है। डारविन के बाद न्यूटन आदि के भी यह विचार थे कि कृषि तकनीक को बढाने और उसका प्रमाण सहित सिद्ध करना तथा उसके व्दारा श्रमिकों की संख्या में बढोत्तरी रही है। बेरोजगारी को छिपाना और श्रमिकों की

बढोत्तरी को रखा जाता है इसकी प्रकृति और दिशाओं को नीतियों को निर्धारित की गई, इन दिशाओं के परिणाम मात्रा के कारण निम्न प्रकार है:-

§1§ कार्य की अपर्याप्त दिशाएँ

§2§ आय की उपर्याप्त दिशाएँ

§3§ बेरोजगारी की उपज बेरोजगारी के अधीन क्रम

बढ़ गणना सम्बन्धी और इसे वार्षिक योजनाओं में सरकार को पांच वर्ष के लिए बेरोजगारी के अधीन विचार किया जाना है।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

§1§ ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के बेहतर तथा अधिक अवसर प्रदान करना जिससे प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में सौ दिन तक रोजगार दिया जा सके।

§2§ ग्रामीण आधार ढाँचे को शुद्ध बनाने के लिए टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है।

§ इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार देती है छठीयोजना के द्वारा 500 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है और सातवी योजना के लिए 1743.78 करोड़ रु० का परिचय निर्धारित किया गया है। छठीयोजना के दौरान 3700 लाख श्रम दिनों तक रोजगार सृजन होने की परिकल्पना की गई है। सातवी योजना के द्वारा 101.30 लाख श्रम दिनों तक प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को सातवी योजना के दौरान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 144.50 लाख श्रम दिनों के कार्यों का सृजन किया गया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया है उनसे उपेक्षित है, कि वे 20 सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुरूप केन्द्रीय समिति के अनुमोदन और स्वीकृति के लिए विशिष्ट परियोजनाएँ बनाये, चूँकि सातवी योजना में उत्पादक रोजगार के सृजन पर बल दिया गया है। अतः परियोजनाओं की आयोजना इस प्रकार की है जिनमें विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों का अनुकूलतम मिश्रण हो, जिससे ग्रामीण समुदाय को उत्पादक और टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन के जरिए अधिकतम रोजगार और लाभ मिल सकें। सातवीं योजना के दौरान अकवंटित निधिका 20% भाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकों के लिए नियत किया जाना है जब कि 10% भाग उन कार्यों के लिए रखा जाना है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सीधा लाभ पहुँचता है और सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि परियोजना में मजदूरी घटक परियोजना की कुल लागत को 50% से कम नहीं होनी चाहिए।

राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे एक शेल्व आफ प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्योंन्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए तैयार करें, उसमें प्राथमिकता जहाँ तक सम्भव हो, पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बेरोजगारी, भूमिहीन श्रमिकों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रमिकों की संख्या अधिक है। उन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को दी जाए, तब शेल्व आफ प्रोजेक्ट के आधार पर वार्षिक आवंटन के 950/- तक सीमित जिसके अध्यक्ष सचिव, ग्रामीण विकास है और जिसमें विभिन्न मंत्रालयों

विभागों के सचिव शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट कार्य परियोजनाओं को मंजूर करके कार्यक्रम में क्रियान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने और समय समय पर नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम सम्बन्धी नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। हालाँकि कार्यक्रम का एक उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार को कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में सौ दिनों तक रोजगार देने की गारण्टी प्रदान कराना है। तथापि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत बेरोजगारी को निरन्तर रोजगार प्रदान करने के व्यापक लक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। तथापि गारण्टी कार्य के शुरू होने तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को सौ दिन तक रोजगार प्रदान किया जायेगा, और उन्हें पहचान पत्र जारी करे, जिनमें भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम दोनों के तहत रोजगार हेतु है। इस मार्गदर्शी योजना की सफलता के आधार पर योजना का विस्तार करने और उसे पुनः चलाने के लिए भी कहा गया है वनरोपण तथा ईंधन की लकड़ी और चारा उत्पादन के लिए विशाल कार्यक्रम प्रारम्भ करने को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1985-86 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत सामाजिक वानिकी के लिए 20% निधि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण निर्धनों के ईंधनों के लिए लकड़ी और चारा मिल सकेगा, इस बात

को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में लोगों के स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने में विशिष्ट लाभ भोगियों को पहचान करने और सीमान्त किसानों को शामिल करके किसान नर्सरियों की स्थापना करने पर बल दिया जाता है।

1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मकानों के निर्माण और लघु आवास बनाते हुए परियोजनायें शुरू करने के लिए अलग से 100 करोड़ ₹ की राशि रखी गई है। खाद्यान्नों के लिए राज्य सहायता हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में 10.33 करोड़ ₹ की राशि मुहैया की गई है। इस कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय अब 510.33 करोड़ ₹ हो गए है। आवंटनों के अलावा अतिरिक्त मात्रा के रूप में 5 लाख मी०टन खाद्यान्न और मुहैया किए गए। खाद्यान्न की यह मात्रा कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में दी जाती है। खाद्यान्न की लागत 86 करोड़ ₹ और 10 करोड़ ₹ की आवश्यकता इन की साज सम्भाल ढुलाई आदि के लिए होगी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के मामले में भूमिहीन मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमिहीन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के चयन के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा बेरोजगारी को

भूमि ही मजदूरों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिक आबादी वाले क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों जिससे बन्धुआ मजदूरों तथा कम मजदूरों के चयन को सूचना प्राप्त हुई। परियोजना मंजूर करते समय केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों के लाभ का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के दौरान 1985-86 के अन्तर्गत भौतिक परि सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अखिल भारत की स्थिति:-

1. सड़क:- 1889-90 कि०मी०
2. जल विकास सहित कुल सिंचाई का कार्य:-
16,373 हेक्टेयर लघु सिंचाई निर्माण कार्य 473.40 कि०मी० जल विकास।
3. सामाजिक वानिकी:- 6163.73 हेक्टेयर सामाजिक वानिक औषधीय पौधे 30 आर के एम सामाजिक वानिक बांधों पर वृक्षारोपण 71322 पौधे है।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आवास निर्माण 4345 लाख है।
5. मुद्रा और जल संरक्षण के निर्माण कार्य 6040 हेक्टेयर जिनमें बांधों को गहरा करना कंटूर बांध बनाना और भूमि पर वृक्षारोपण आदि शामिल है। एवं 80 जलाशय है।
6. बाढ़ संरक्षण के लिए कार्य:- 7 हेक्टेयर बांध नदी तटबन्ध चैकडैम, मुद्रा क्षरण नियंत्रण 109 संख्या नदी तटबन्ध है।
7. अन्य:- 555 परिसवण तालाब, टैकजलागार आदि।

छठी योजना के दौरान ग्रामोण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की नियुक्ति को गई। राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 3,85,863.00 मीटर टन खाद्यान्नों की उपलब्धि को गई तथा 10987.85 मीटर टन खाद्यान्नों को उपयोग में लाया गया है।

योजना अवधि के दौरान संचालित रोजगार

सारणी 11

योजना अवधि में रोजगार (लाखों में)

	१ पहली योजना	२ दूसरी योजना	३ तीसरी योजना	४ वार्षिक योजना	५ चौथी योजना	६ पांचवी योजना
1. योजना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्ति	3.3	5.3	7.1	9.6	12.6	26.6
2. नया प्रवेश करने वाला	9.00	11.8	17.00	14.00	32.00	44.00
3. योग	12.30	17.1	24.1	23.6	44.6	70.6
4. योजना के दौरान व्यक्तियों को रोजगार को सुरक्षित करना	7.00	10.00	14.50	11.50	18.00	32.00
5. योजना के अन्तर्गत कार्य का पिछडापन	5.3	7.1	9.6	12.6	26.6	38.6

इस सारणी से स्पष्ट है कि प्रथम योजना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 3.3 लाख थी, दूसरी योजना में यह संख्या बढ़कर 5.3 लाख, तीसरी योजना में 7.1 लाख, तीन वार्षिक योजनाओं में 9.6 लाख, चौथी योजना में 12.6 लाख, पांचवी योजना में 26.6 लाख हो गई। प्रथम योजना से पांचवी योजना के बीच बेरोजगारी में 23.3% की वृद्धि हुई। प्रथम योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी के प्रबन्ध में नए प्रवेश के लिए संख्या 9.00 लाख थी, जो कि बढ़कर पांचवी योजना में 44.00 लाख हो गई, अर्थात् नए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में प्रथम योजना से पांचवी योजना के बीच 35% की वृद्धि हुई।

प्रथम योजना के दौरान 7.00 लाख व्यक्तियों द्वारा रोजगार का सृजन किया गया, जब कि तीसरी योजना में संख्या बढ़कर 14.50 लाख एवं पांचवी योजना के बीच 25% रोजगार का सृजन किया गया। प्रथम योजना के कार्य को पिछड़ेपन के कारण 5.3 लाख का सृजन किया गया और जब कि तीसरी योजना में बढ़कर 7.1 लाख एवं पांचवी योजना में 38.6 लाख हो गई। इस प्रकार प्रथम योजना से पांचवी योजना के बीच 33.3% की वृद्धि हुई है।

सारणी 1.2

ग्रामीण बेरोजगारी में व्यवसाय वर्ग प्रतिशत में

रोजगार का स्तर	किसान	कटाई कार्य में लगे हुए श्रमिक	कृषि श्रमिक	गैर कृषि श्रमिक	कुल योग
शून्य	4.10	3.45	7.23	6.33	4.40
1/4 चौथाई	2.98	3.12	7.51	6.37	4.07
1/2 आधा	6.48	11.14	20.52	14.93	10.63
3/3 तीन- चौथाई	5.81	5.12	11.58	10.71	7.08
पूर्णरूप से रोजगार	76.54	73.83	40.76	58.61	68.85
शेष	3.59	3.34	12.40	3.05	4.97
कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत:- एम0सी0वर्मा भूमि सुधार और खतिहर मजदूर" कुल क्षेत्र वाल्युम नम्बर-1 अक्टूबर, 1977

इस सारणी को अवलोकन से स्पष्ट होता है ग्रामीण बेरोजगारी में रोजगार का स्तर शून्य है, जब कि 4.10% किसान, 3.45% कटाई कार्य में लगे हुए श्रमिक, 7.23% कृषि श्रमिक और 6.33% गैर कृषि श्रमिक रोजगार में लगे थे अर्थात् कुल 4.40% रोजगार में व्यस्त थे। इसी प्रकार 1971 के सर्वेक्षण के आधार पर सारणी वदारा जनसंख्या का आधा भाग बेरोजगार में है, जिसमें 2.98% किसान, 3.12% कटाई कार्य में लगे श्रमिक और 7.51% कृषि श्रमिक

6.37% गैर कृषि श्रमिक कार्य में व्यस्त थे और कुल 10.73% ग्रामीण व्यवसाय वर्ग के कार्य में व्यस्त था। कुल रोजगार के तीन चौथाई भाग में 5.81% किसान, 5.12% कटाई कार्य में लगे श्रमिक तथा 11.58% कृषि श्रमिक 10.71% गैर कृषि श्रमिक थे, अर्थात् तीन चौथाई भाग में रोजगार में 7.08% ग्रामीण रोजगार है अर्थात् पूर्ण रूप से कुल रोजगार का 76.54% कटाई पर लगे श्रमिक और 40.75% कृषि श्रमिक 58.61% गैर कृषि श्रमिक 68.85% कुल रोजगार ग्रामीण व्यवसाय वर्ग की दर से कार्य करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त 3.59% ^{किसान} 3.34 कटाई कार्य पर लगे श्रमिक 12.40% कृषि श्रमिक और 3.05 % गैर कृषि श्रमिक थे कुल रोजगार का 4.97% श्रमिक कार्य में व्यवसाय वर्ग में कार्यरत रहे थे।

सारणी-1.3

कार्यकारी चकों में आकार के अनुसार ग्रामीण परिवारों का विवरण

कुटुम्ब	§ 1954-55		§ 1961-62		§ 1971-72	
	कुल नम्बर मिलियन में	प्रतिशत	कुल न० मिलियन में	प्रतिशत	कुल न० मिलियन में	प्रतिशत
1-भूमिहीन	6.6	10.8%	18.6	26.92	21.89	27.38%
2-गरीब किसान	27.6	45.25%	21.6	30.64	26.3	32.88%
3-छोटे और § 2.50 9.99 एक्ड़ §	18.2	29.84%	20.6	29.86	23.6	29.50%
4-ग्रामीण मकानों की संख्या	6.10	100.00	69.0	100.00	80.0	100.00%
5-कुल ग्रामीणी की जनसंख्या	317.7	-	369.0	-	436.0	-

स्रोत- के०एम० राज-ग्रामीण बेरोजगार का झुकना:-

एक सर्वेक्षण वर्द्धेभ सहित सोचना और नापने की समस्या आर्थिक और राजनीतिक सप्ताहिक, स्पेशल नम्बर, अगस्त 1976 सारणी 1 पैज 1287

इस सारणी द्वारा ग्रामीण परिवारों के कार्यकारी चकों के अनुसार वितरण से स्पष्ट किया है कि 1954-55 में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या- 6.6 मिलियन की अर्थात् 10.81% जबकि 1961-62 एवं

इसी प्रकार गरीब किसान जिनके पास 2.50 से कम भूमि थी उनकी संख्या 1954-55 में 27.6 मिलियन थी अर्थात् 45.25% जबकि 1961-62 एवं 1971-72 में क्रमशः 21.0 मिलियन और 26.3 मिलियन हो गयी अर्थात् 30.64% एवं 32.88% तक थी। 1954-55 में ग्रामीण मकानों की संख्या 61.0 मिलियन थी और 100.00% जबकि 1961-62 एवं 1971-72 में क्रमशः 69.0 एवं 80.0 मिलियन हो गयी अर्थात् 100.00% तक थी। इसी प्रकार कुल ग्रामीण जनसंख्या 1954-55 में 317.7 मिलियन 1961-62 में यह बढ़कर 369.0 मिलियन जबकि 1971-72 में यह 436.0 मिलियन तक थी।

सारणी- 1.4

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिये बेरोजगारी की दर §1970-71§
प्रतिशत में

राज्य/भारत	बेरोजगार की दर		बेरोजगार व्यक्ति प्रतिदिन दर परिणाम मूल्य 1972 § प्रतिशत में §
	पुरुष	स्त्री	
1.	2.	3.	4.
आन्ध्र प्रदेश	7.16	15.64	12.84%
असम	3.16	17.24	2.43%
बिहार	6.32	9.31	9.86%
गुजरात	6.40	8.31	-
हरियाणा	3.80	11.20	3.35%
कर्नाटक	5.11	4.76	8.13%
केरल	15.38	9.20	22.72%
मध्य प्रदेश	4.82	9.53	3.85%
महाराष्ट्र	4.82	8.93	10.22%
उड़ीसा	7.48	17.43	11.06
पंजाब	4.62	-	4.2%
राजस्थान	8.18	6.89	2.10
उत्तर प्रदेश	6.13	9.04	3.64
तमिलनाडु	10.15	13.99	13.48
पश्चिम बंगाल	5.52	8.74	11.79
समस्त राज्य	6.44	10.09	7.96

सारणी द्वारा स्पष्ट है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए बेरोजगारी की दर 1970-71 के संदर्भ में केरल राज्य में पुरुषों में 15.38% और स्त्रियों में 9.20% थी और इसमें बेरोजगार व्यक्तियों की दर का 22.73% मूल्य का व्यय किया गया है। जबकि आन्ध्र प्रदेश में पुरुषों के लिए 7.16% और स्त्रियों के लिए 15.64% थी, बेरोजगार व्यक्तियों की दर 12.84% तक थी। बिहार राज्य में भी पुरुषों के लिए 6.32% और स्त्रियों के लिए 9.31% थी बेरोजगार व्यक्तियों की दर 9.86% तक मूल्यों का व्यय किया गया था। इससे कम श्रमिकों के लिये बेरोजगारी की दर को 1970-71 के संदर्भ में में उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुषों की संख्या 6.13% और स्त्रियों की संख्या 9.04% थी और इन बेरोजगार व्यक्तियों की दर 3.64% मूल्यों का व्यय किया गया था।

मध्यप्रदेश राज्य में पुरुषों के लिए 4.82% और स्त्रियों के लिए 9.53% थी और इसमें बेरोजगार व्यक्तियों की दर का 3.85% मूल्यों का व्यवसाय किया गया है।

इसके अतिरिक्त समस्त राज्य में पुरुषों की संख्या 6.44% और स्त्रियों की 10.09% थी और इन बेरोजगार व्यक्तियों की दर का 7.96% मूल्यों का व्यय किया गया था।

उन्नति- इन्हीं योजनाओं की अवधि में पिछले तीन दशक के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं इस विभिन्न कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है-

1- कुछ योजनाओं § टारगेट ग्रुप ओरियन्टेड § लघु सिंचाई कृषक किसान एजेंसी और सोमान्त कृषक व खेतिहर मजदूर एजेंसी, सूबाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा ट्राइबल क्षेत्रीय कार्यक्रम और पहाड़ी क्षेत्रीय कार्यक्रम और रेगिस्तान था मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सम्पूर्णता ग्राम विकास कार्यक्रम की स्थापना की गयी। जिसका मुख्यउद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं क्षेत्रीय विषमताओं में कमी

॥2॥ कुछ औरयोजनाओं भी बनाई गई है। जिसमें रोजगार आय के साधनों को चालू रखा गया है। ग्रामीण कार्यक्रम को असफलता को योजना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पयलट की तीव्र मार्ग दिखाना, रोजगार गारण्टी प्रबन्ध और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है।

सारणी-1.5

टारगेट ग्रुप ओरिमेंटड स्कीम द्वारा रोजगार सृजन

रेजेन्सी	॥ अवधि ॥	॥ परिव्यय ॥	॥ लाभदायिक रोजगार ॥
	॥	॥ रूपया ॥	॥ उत्पन्न होना ॥
1. लघु कृषक विकास रेजेन्सी	1977-78	15345.11	60.11 2833.34 मैनेजेज 18.31 लाभदायिक
2. सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम	1974-75 से 1977-78, 1974-75	28124.63 39433.34	2525.44 824. मैनेजेज लाभदायिक
3. ट्राइबल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1975-78	1409.64	3.35
4. पहाडी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	अप टू 1978	202.34	एन.ए0
5. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	1977-78	10.48	एन0ए0

§ स्रोत :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभागः, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास सांख्यिकी केरवाए कार्यक्रम -1977-78 नई दिल्ली 1979, एस.एफ.डी.ए. पेज 22, 23, 24, डी.पी.ए.पी. पेज 37, 40, एच.डी.पी. पेज 66.69, टी.ड.डी.पी. पेज 74, डब्ल्यू.वी.डी.पी. पेज , 45, 47 §

इस सारणी के दौरान 1977-78 की अवधि में लघु कृषक विकास एजेन्सी के अन्तर्गत 15345.11 लाख रु० का व्यय किया गया और इसमें लाभदायिक रोजगार को 60.11 लाख रु० तक थी । सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम को 1974-75 से 1980-81 तक 28124.63 लाख रु० का व्यय किया गया , जिसमें लाभदायिक रोजगार को लाभान्वित होने में 2525.44 लाख रु० प्राप्त की गई, इसके अतिरिक्त 1975-88 में ट्राइबल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1409.64 लाख रु० का व्यय किए गए । लाभदायिक रोजगार 3.35 लाख रु० का सृजन किया गया ।

इसी प्रकार 1978 में पहाड़ी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 202.34 लाख रु० का व्यय किया गया, जिसमें लाभदायिक रोजगार के आंकड़ों को उपलब्ध नहीं किया । 1977-78 में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में 10.48 लाख रु० में व्यय किया गया । और इसमें लाभदायिक के आंकड़ों को उत्पन्न नहीं किया गया है।

सारणी-1.6

उत्पादित रोजगार

राज्य	इस अवधि में संचयना देनी	1977.78	1978.79	1979.80	1980.81
आंध्र प्रदेश	जून, 1980	—	186.79	532.91	158.55
असम	—	6.11	175.64	115.86	—
बिहार	सितम्बर, 80	14.76	641.42	753.86	157.75
गुजरात	—	—	301.00	523.84	—
हरियाणा	जून, 80	—	30.03	124.19	43.90
हिमाचल प्रदेश	—	0.70	2.72	19.75	—
जम्मू और कश्मीर	सितम्बर 80	—	10.79	29.83	26.46
कर्नाटक	—	5.02	44.71	12.13	—
केरल	जून, 80	21.43	40.69	57.26	5.69
मध्यप्रदेश	—	44.00	450.00	179.40	—
उड़ीसा	सितम्बर 80	68.69	362.39	552.27	248.33
पंजाब	सितम्बर 80	0.14	49.93	32.28	1.09
त्रिपुरा	" "	—	29.65	99.97	30.25
उत्तरप्रदेश	" "	58.19	223.32	819.52	387.41
राजस्थान	जून 80	6.87	500.74	400.35	138.50
पश्चिमी बंगाल	दिसम्बर 80	218.43	533.44	540.50	394.77
बंगलौर	—	—	2.00	—	—
कुल योग		444.34	3728.55	5336.68	1695.84

§ जी०वी०के०राव, 1981 कार्मस ववल्यूम 142, नम्बर 3649 मई
23, 1981 "जहाँ खाद्य के बदले काम" पेज 1006 स्त्रोत एक वेटकट की
प्रश्न का जबाब नम्बर 6487 लोक सभा के दौरान वहस अप्रैल 16, 1981 §

इस सारणी व्दारा विभिन्न राज्यों में उत्पादित रोजगार की मात्रा से स्पष्ट किया है कि दिसम्बर 1980 के प्राप्त सूचनाओं की मात्रा 1977-78 में 218-43 लाख थी, जो कि अन्य राज्यों व्दारा उत्पादित रोजगार की मात्रा की अपेक्षा अधिक थी। इसी राज्य व्दारा उत्पादित रोजगार की मात्रा 1978-79 में 533.44 लाख 1979-80 में 540.50 लाख, 1980-81 में 394.77 लाख थी। इस प्रकार 1977-78 से 1980-81 के बीच उत्पादित रोजगार की मात्रा 176.3% तक की वृद्धि हुई।

इसी प्रकार सितम्बर, 1980 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उड़ीसा उत्पादित रोजगार की मात्रा 1977-78 में 68.69 लाख थी जो कि बढ़कर 1978-79 में 362.29 लाख, 1979-80 में 555.27 लाख, 1980-81 248.33 लाख रू० हो गये। इस प्रकार 1977-78 से 1980-81 के बीच उत्पादित रोजगार की मात्रा 179.64% की वृद्धि हुई। सितम्बर, 1980 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंजाब व्दारा उत्पादित रोजगार की मात्रा 1977-78 में 0.14 लाख थी जो कि बढ़कर 1978-79 में 49.93 लाख हो गई। 1979-80 में 32.28 लाख, 1980-81 में 1.09 लाख थी इस प्रकार 1977-78 से 1980-81 के बीच उत्पादित रोजगार की मात्रा में 95% की वृद्धि हुई।

जून 1980 में राजस्थान राज्य द्वारा उत्पादित रोजगार की मात्रा 1977-78 में 6.87 लाख, 1979-80 में 500.74 लाख, 1979-80 में 540-50 लाख रू० और 1980-81 में 394.77 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार 1977-78 से 1980-81 के बीच उत्पादित रोजगार की मात्रा 131.63% तक वृद्धि हुई। सितम्बर, 1980 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित रोजगार की मात्रा 1977-78 में 58.19 लाख थी जो कि बढ़कर 1978-79 में 223.32 लाख, 1979-80 में 81952 लाख, 1980-81 में 387-41 लाख थी इस प्रकार 1977-78 से 1980-81 के बीच उत्पादित रोजगार की मात्रा में 332.22% तक की वृद्धि हुई।

असफलता पर प्रबन्ध:-

असफलता पर प्रबन्धके प्रस्ताव को बेरोजगारी श्रमिकों को एक दिन के हिसाब से प्रत्येक को 3/- के करीब मूल्य दिया जाता है। कार्य को सूचना भी नहीं देते है, इस तरह से उनकी आकांक्षा का अनुपात है। इसकी असफलता के कार्यक्रम हानिकारण तथा टिकाऊ रचना अनुत्तीर्ण और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का स्थान स्याई है। असफलता पर प्रबन्ध को 1971-74में 4265.88 लाख व्यय प्रस्त करता है और 3157.39 लाख रू० का उत्पादित रोजगार में मैनेज थे।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पाथलट को तीव्र मार्ग दिखाना:-

लघु सिंचाई और सड़क के निर्माण में इस कार्यको महत्वपूर्ण माना है और रोजगार को चालू रखने के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण

योगदान रहा है। परन्तु वेतन को निर्धारित करने से श्रमिकों की पूर्ति बहुत कम होती है। उसके साथ-साथ रोजगार की स्थिति को निर्धारित करता है। इस कार्यक्रम में 1972-73 में 958.24 लाख रु० का परिव्यय करता है। और उत्पादित रोजगार 181.60 लाख रुपये तक था।

रोजगार गारण्टी प्रबन्धों महाराष्ट्र :-

योजना के दौरान ग्रामीण रोजगार गारण्टी प्रबन्ध किया कार्य क्षेत्र 5 कि०मी० के अन्दर है और 15 दिन की लागत पर कार्य करना आवश्यक है जो वेतन निर्धारित किया गया है। उसका पुनःवृद्धि वेतन 1974-में 4.50 रु० किया गया सड़क की योजना में सबसे कम स्थान दिया। इसमें बाढ़ राहत कार्य और कमाण्ड क्षेत्र के विकास का कार्य और उत्पादन के कार्य को बढ़ावा दिया गया है।

योजना आयोग और महाराष्ट्र सरकार ने आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था की है ताकि प्रत्येक जिले में नासिक सोलापुर में 155 बान्दरा गांवों में 1976-78 तक 244 श्रमिक और 3404 कुटुम्ब लाभदायिक है।

1. कृषि के उपभोग में आने वाली लाभदायिक सम्पत्ति को प्राथमिक के द्वारा उत्पन्न कर सकता है।
2. करीब 12% प्रयोग में आने वाले कुटुम्बों के मध्यम व बड़े किसानों को सहायता देना आवश्यक है।
3. मध्य वर्ग के श्रमिकों को और हरिजनों को करीब 5% तथा अन्य जाति सम्बन्धियों को भी 5% लाभ देना आवश्यक है।
4. इस व्यवस्था में कम करने वालों की संख्या में दुराचार अनुसूचितप्रयोग भ्रष्टता करने वाले भी है।

जुलाई 1978 में

का परिचय कर्नाटक में 12 लाख व्यक्तिगत को करोड रु० प्रत्येक दिन के हिसाब से वार्षिक रोजगार दिया जाता है इसमें विभिन्नता की गणना निम्न प्रकार है:-

1. रोजगार गारण्टी ब्रबन्ध को वर्ष भर में की नौकरी की गारण्टी मन्द दिनों के लिए की गई है।
2. महाराष्ट्र में मूल्य व्यय के आधार पर प्राकृतिक अभिकरण की अपेक्षा कर निर्धारण के अतिरिक्त दर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:-

यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1977 से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार का सृजन, टिकाऊ सामुदायिक सम्पत्ति का संचयन और उच्च उत्पादन की प्राप्ति के लिए ग्रामीण उपरिच्यों ने दृढ़ता लाना। 15 अगस्त 1980 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। नयी स्कोम के अन्तर्गत मजदूरी रोजगार को निश्चित करना और प्रोजेक्ट की सामग्री लागत प्रयोग वाली सम्पत्ति के संचयन को निश्चित करना में अनुपात को प्रतिबद्ध कर दिया।

द्वितीय केन्द्र के स्व राज्यों को नकद सहायता खाद्य पदार्थ के साथ देता है। इसके अन्तर्गत सड़क निर्माण, सिंचाई कार्य बाढ़ सुरक्षा सिट्टी और पानी का संरक्षण और भूमि का सुधार सामाजिक वानिकी, स्कूल इमारत सामुदायिक केन्द्र आदि कार्य किए जाते हैं। तृतीय कार्य में सम्पादन या निष्पादन में पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है। विशेषकर जिन क्षेत्रों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बहुतायत है।

यह उद्देश्य है कि वर्ष प्रतिवर्ष कार्यक्रम किया जाए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का संचय किया जाए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे स्थायित्व प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की यह आशा है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ब्लॉक में 1000 परिवारों में रोजगार प्रदान करेगा।

कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर इसकी कार्य क्षमता ज्ञात हुई कि 538 करोड़ रु० की धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 1983-84 के अन्तर्गत केवल 394 करोड़ धनराशि का प्रयोग किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का वितरण 0.49 कि०ग्रा० है छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 1, 1500 से 2000 मि०श्रम दिनों तक रोजगार का सृजन किया गया है, जब कि प्रथम चार वर्षों के दौरान 1422.0 मि०श्रम दिनों तक रोजगार का सृजन हो गया। 1984 के दौरान 56.6 मि०श्रम दिन रोजगार का सृजन रिकार्ड किया गया।

इस धीमी प्रगति का कारण संगठनात्मक गलाकार प्रतियोगिता उचित नियोजन का अभाव और उचित प्रोजेक्ट के चुनाव में असफलता।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की विकट समस्या में निवारण के लिए हाल ही में सरकार ने बबरदस्त रोजगार योजना का मूल पात किया है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी व्यवहारिक तौर पर इनका प्रभाव संदिग्ध रहा है। ग्रामीण भूमिहीनों मजदूरों व बंधुआ मजदूरों को मुक्ति के लिए अनेक नियम अधिनियम अनुमोदित होने के बाद भी आज बंधुआ मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या देश के अनेक भागों में श्रम का जीवन व्यतीत कर रही है।

आजादी के चालीस वर्ष बाद भी भूमिहीन मजदूरों की जो स्थिति आज बनी हुई है। काफी शोष नाम है सरकार भी कोई भी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं है क्योंकि सामान्तर पर आज भी वे लोग प्रभावशाली है जो भूमिहीन व खेतिहर मजदूरों से बेलटीजर्स प्रथा पर कार्य लेते है।

सरकारी मजदूरी दर भी तुलना में उनको दर आज बहुत कम है अर्थात् उसकी प्रस्तावना में छत्त कमो नहीं आई है।

अध्याय-दो
झाँसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन
रोजगार गारंटी कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र झांसी मण्डल में, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा तथा ललितपुर से बना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी राज्य को जिन षॉच क्षेत्रों में बाटा गया है उनमें से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को यही सीमांकन किया गया है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से प्रथक विशेषताएँ लिए हुए है। इस क्षेत्र में भूमि अधिकांशतः मैदानी तथा छोटी-2 पहाड़ियों से घिरी हुई है। सागर तल से सभ सामान्यतः उचाई 300 मीटर है, केवल ललितपुर जिले में उस षठारी क्षेत्र को छोड़कर जहाँ उँचाई 300-900 मीटर के मध्य है। सामान्यतः मिट्टी लाल बलुही नयी व पुरानी अण्युवियम प्रकार की है। जालौन के कुछ क्षेत्रोंकी छोड़कर शेष भूमि कृषि को दृष्टि से सामान्यतः कम उर्वरक एवं षथरोली है।

झांसी जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 5027 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 11.33 लाख है। यह जनपद चार तहसीलों में और आठ विकास खण्डों में विभाजित है। यह उत्तर प्रदेश में दक्षिण, षत्रिचमी भाग में $25^{\circ}13'$ और $25^{\circ}27'$ उत्तरीध्रुव और $29^{\circ}25'$

पूर्वी ध्रुव में स्थित है। इसके उत्तर में जालीन जनपद में हमीरपुर, दक्षिण में ललितपुर और पूर्व, पश्चिम दक्षिण सीमा से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश राज्य में है। झॉसी जनपद में ग्रामोण जनसंख्या 241000 लाख और शहरी जनसंख्या 24,000 लाख थी। और

ग्रामोण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के आठों विकास खण्डों में श्रमिकों को यह लाभ देने का प्रयास किया जाता है। कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी लोगों को रोजगार दिए जाने का आश्वासन दिया जाए, इसके अलावा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्डों में जलाशयों का निर्माण करना, सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना तथा छोटे व बड़े किसानों के जानवरों के लिए पीने के पानी की समस्या व कृषिके कार्यों को बढ़ावा देने की सुविधायें उपलब्ध की जाए जिससे भूमिहीन मजदूरों के साथ छोटे व बड़े किसानों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। इस प्रकार एक तरफ आय में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा व्दारा कृषि उत्पादनों में वृद्धि होगी।

झॉसी जनपद को सबसे पिछडा क्षेत्र माना गया है कि कृषि का उत्पादन औसतम जिले में राज्य की अपेक्षा बहुत कम है। श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 85% जब कि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 65% के करीब और अन्य किसानों की संख्या 20% तक है। इसी प्रकार जिले में कृषि के अभाव के कारण बेरोजगार दुर्बल श्रमिकों की संख्या लगभग 60% तक है।

इस योजना के अन्तर्गत पंचायत घर समुदाय केन्द्र और सामाजिक केन्द्रों एवं गांव में जलाशय को गहरा करना तथा पंचायत उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र को इमारतें बनवाई जाए और पंचायत लेवल पंचायत उद्योगों के लिए शौखम आदि बनाये गए है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत झॉसी जनपद में भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए जिस योजना का निर्माण किया गया उसका प्रारूप निम्न प्रकार है:-

मुख्या आकृति

1. योजना का नाम:- इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा में तालाबों गहरा करना और पंचायत उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापना करना है।

2. कार्यालय का अनुमान:-

1. पंचायत घर समुदाय केन्द्र का निर्माण
2. ग्रामीण जलाशय को गहरा करना
3. चिरगांव में प्रशिक्षण केन्द्र और पंचायत घर
4. झॉसी जनपद स्तर पर पंचायत उद्योगों के पंचायत

घर

3. योजना की लागत:-

1. पंचायत घर और समुदाय केन्द्र व सामाजिक केन्द्र को स्थापना	5,50,000/-
2. ग्रामीण जलाशय कोणहरा	10,57,000/-
3. चिरगांव में प्रशिक्षण केन्द्र और पंचायत घर	5,01,438/-
4. इस जनपद स्तर पर पंचायत उद्योगों के पंचायत शो रूम	5,00,248/-

कुल योग

26,091 लाख

4. साधक योजना की लागत:-

1. भौतिक लागत (लाखों में)	8.251
2. परिश्रम लागत	17.840

5. योजना का अनुपात:-

1. वस्तु की लागत	37.0%
2. परिश्रम की लागत	67.2%

6. योजना की लागत वर्षानुसार:-

वर्ष 1983-84	6.497
वर्ष 1984-85	19.594

7. योजना में भोजपदार्थ की आकांक्षा:-

वर्ष 1983-84	49.557 मिली टन
वर्ष 1984-85	148.672 मिली टन

8. :- जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अपर जिला अधिकारी विकास की देख रेख में कार्य करना।

9. योजनाओं के लाभ:- ग्रामोण क्षेत्रों में पानी के भराव को समुचित व्यवस्था करना, सिंचाई के कार्यों को बढ़ावा, गर्मी के मौसम में जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना। सामाजिक जन समूह या सभाओं का आयोजना सभी प्रकार के सामाजिक कार्य, पंचायत घर में ही सम्पन्न हो, गांव सभाओं को आमदनी मत्सय पालन के द्वारा को जानी चाहिए। बेरोजगारों की समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना जिससे भूमिहीन व्यक्तियों के साथ साथ बेरोजगार श्रमिकों में रोजगार को उचित व्यवस्था हो सके।

10. अनुमानित जनसंख्या जो कि लाभान्वित होगी:- 9.5 लाख

11. कुल रोजगार की मात्रा जो क्रियान्वित है:- 2 लाख के लगभग

1983-84

झोंसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

1983-84 की कार्य प्रमाली

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पहले से निश्चित कर लिया गया था कि भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों से कम से कम, व्यक्तियों को एक वर्ष में सौ दिन कार्य दिया जायेगा। हमारा यह विचार था कि हम एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को इकट्ठा कर सकें, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में लगभग दो लाख श्रमिकों को रोजगार सुलभ हो सकें, लेकिन जनपद में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या सीमित होने के कारण यह लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं सामने आने लगी हैं। जिससे श्रमिकों की अस्थिरता में कमी आई है।

इन क्षेत्रों में अधिकारों की आवश्यकता को पंचायत घर व जलाशय के निर्माण का निर्देश देना था। बरसात के दिनों में गांवों में पानी भरा जाने से बहुत से गांवों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए नए तालाबों को गहरा करना और बनाना है। जिसके द्वारा गर्मियों के मौसम में जानवरों के लिए पानी की समस्या का समाधान करना आवश्यक होता है।

इसलिए नए और पुराने तालाबों की आवश्यकता होती है। ग्राम सभा के द्वारा नए पंचायत घर और जलाशयों का निर्माण करना, योजना का वृद्ध संकल्प के साथ ही योजना के अन्तर्गत प्रत्येक

1983-84

झोंसी जनपद में ग्रामोण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

1983-84 को कार्य प्रमाणी

ग्रामोण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पहले से निश्चित कर लिया गया था कि भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों से कम से कम, व्यक्तियों को एक वर्ष में सौ दिन कार्य दिया जायेगा। हमारा यह विचार था कि हम एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को इकट्ठा कर सकें, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में लगभग दो लाख श्रमिकों को रोजगार सुलभ हो सकें, लेकिन जनपद में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या सीमित होने के कारण यह लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा सामने आने लगी है। जिससे श्रमिकों की अस्थिरता में कमी आई है।

इन क्षेत्रों में अधिकारों की आवश्यकता को पंचायत घर व जलाशय के निर्माण का निर्देश देना था। बरसात के दिनों में गांवों में पानी भरा जाने से बहुत से गावों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए नए तालाबों को गहरा करना और बनाना है। जिसके द्वारा गर्मों के मौसम में जानवरों के लिए पानी की समस्या का समाधान करना आवश्यक होता है।

इसलिए नए और पुराने तालाबों की आवश्यकता होती है। ग्राम सभा के द्वारा नए पंचायत घर और जलाशयों का निर्माण करना, योजना 5A वृद्ध संकल्प के साथ ही योजना के अन्तर्गत प्रत्येक

परिवार से प्रत्येक व्यक्तियों का एक वर्ष में लगभग सौ दिन तक रोजगार के अवसर सुलभ करना चाहिए। जिससे उनकी बेरोजगारी को ग्राम सभा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए पंचायत घर और जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता होती है। पंचायत घर के निर्माण के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव करना होगा, जिलाका केन्द्र नया पंचायत और उसका मुख्यालय खण्ड में होता है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर की पानी का अभाव है। वहाँ पर नए तालाबों का निर्माण और पुराने जलाशयों को गहरा किया जाता है।

इस प्रकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पंचायत घर
2. पंचायत उद्योगों के लिए झोंसी जनपद में पंचायत घर/शोरूम
3. चिरगांव में पंचायत उद्योगों और भवनों की शिक्षण केन्द्र आदि
4. जलाशयों के उन गांवों में जहाँ पानीके भर जाने की समस्या का सृजन किया जाता है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्य को 1983-84 और 1984-85 वर्ष में क्रियान्वित किया जायेगा।

स्थापना के लिए 10.575 लाख पुराने जलाशयों को गहरा करने एवं नये जलाशयों का निर्माण करने के लिए 5.014 लाख चिरगांव में

प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 5.002 लाख पंचायत उद्योगों में पंचायत घर, शौखम के लिए अनुमानित किया जाता है।

सारणी 2.3

खाद्य पदार्थ की अनुमानित लागत

	पंचायत घर	जलाशय	प्रशिक्षण केन्द्र	जनपद स्तर पर पंचायत घर	योग
1983-84	7.639	29.375	5.595	6.948	49.557
1984-85	22.917	88.125	16.787	20.843	148.672
	30.556	117.5	22.382	27.791	198.229

सारणी द्वारा स्पष्ट है कि सन् 1983-84 में खाद्य पदार्थ की अनुमानित लागत 198.229 लाख रु० थी जिसके अन्तर्गत 49.557 लाख पंचायत घर, जलाशय, प्रशिक्षण केन्द्र जनपद स्तर पर पंचायत घर की स्थापना के लिए की गई थी और इसके अतिरिक्त 1984-85 में 148.672 लाख तक अनुमानित लागत का सृजन किया गया है।

सामाजिक और आर्थिक आवश्यकतायें:-

प्रस्तावित पंचायत घर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय की बैठक के लिए सुविधाएँ प्रदान करेगा और साथ ही लगभग 60 हजार व्यक्तियों के लिए इस निर्माण अवधि में रोजगार का सृजन करेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट में एक तरफ़ टेकों का गहरा करना और खोदना, गर्मों के मौसम में जानवरों के लिए पीने के पानी की समस्या को हल करना तथा दूसरी तरफ़ मछली पालन कार्यक्रम के द्वारा ग्राम सभा की आय में वृद्ध करना है।

झॉसी जनपद में अपर जिला अधिकारी $\{\{\}$ विकास $\}\}$ और जिले में पंचायत राज अधिकारी के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर झॉसी जिले में पंचायत राज विकास और ग्रामीण विकास में अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

1. जिला पंचायत राज अधिकारी	1
2. सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	1
$\{\{\}$ तकनीकी $\}\}$	
3. सहायक विकास अधिकारी $\{\{\}$ पंचायत $\}\}$	8
4. ग्राम पंचायत अधिकारी	65

$\{\{\}$ आर०ई०एस० और एस० आई० $\}\}$ न तो अतिरिक्त अधिकारी की क्षमता पर विचार करना और न ही अतिरिक्त अधिकारी की आवश्यकता थी।

सारणी: 2.4ग्रामोप टैकों का खीदना व गहरा करना

1	2	3	4	5	6	7
ब्लाक	कहाँस्थित	कवर्ड क्षेत्रफल	अनुमानित	मैनडेल	जनसंख्या	
कानाम	है	हेक्टर में	लागत	श्रमदिनोंतक	लाभदायिक	
			हजारों में			
1.	मऊरानीपुर धावाकर	2.00	90.0	10,000	2.000	
2.	" धानकोटरा	1.50	67.5	7,500	1.000	
3.	बंगरा पलरा	1.50	67.5	7,500	2.300	
4.	" निनौरा	1.50	67.5	7,500	2.100	
5.	मौठ देहरी	1.50	67.5	7,500	1.500	
6.	" सेरसा	0.50	22.5	7,500	2.600	
7.	चिरगांव बरल	1.00	45.0	5,000	1.900	
8.	" पहाडी					
	बुजुर्ग	1.50	67.5	7,500	2.300	
9.	बडागांव मेरी	1.00	45.0	6,000	2.400	
10.	" टकोरी	1.00	45.0	5,000	1.900	
11.	गुरसराय आला	2.00	90.0	10,000	2.800	
12.	बाका					
	पहाडी	1.00	45.00	5,000	2.600	
13.	बामौर बडारेखर	2.00	90.0	10,000	2.900	
14.	" शमशेरपुर	2.00	90.0	10,000	2.300	
15.	बबीना डिकोली	2.00	90.0	10,000	2.400	
16.	" इमलिया	1.50	67.5	7,500	2.300	
कुल योग :-		23.50	10.575	1,17,500	35,800	

इस सारणी द्वारा यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण टैकों को खोदना और गहरा करना है इसके अन्तर्गत धावाकर मउरानीपुर में स्थित है इन ग्रामीण टैकों का क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर है। और इसकी अनुमानित लागत 90.0 हजार थी, 10.000 लाख श्रम दिनों तक इन टैकों को गहरा करना है। और इसकी जनसंख्या 2.000/- तक सृजन किया गया है। पलरा बंगरा में स्थित है इसका क्षेत्रफल 1.50 हेक्टेयर है। 67.5 हजार अनुमानित लागत थी और 7,500 लाख तक श्रम दिनों तक कार्य करते हैं। इनकी 2,3000/- जनसंख्या का सृजन किया गया था।

इसमें ग्रामीण टैकों को गहरा करना है और इसके अतिरिक्त बरल चिरगांव ब्लॉक में स्थित है इसका 1.00 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल फैला हुआ है, 45.0 हजार अनुमानित लागत है 5,000 मैनडेज थे। और 1.900/- जनसंख्या को उपलब्ध करना है। पहाडी बुजुर्ग भी चिरगांव में स्थित है। 1.50 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। और इसी लागत 67.5 हजार है इनकी जनसंख्या 27.300/- तक की गई थी।

डिकोली म बबोना में स्थित है इसका कुल क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर है और इसकी लागत 90.0 हजार तक है। इसमें 10.000 लाख श्रम दिनों तक कार्य करता है। और इसमें 2.400 लाख जनसंख्या का ग्रामीण टैकों में सृजन किया गया था।

उपरोक्त ग्रामीण टैकों को गहरा करने के अतिरिक्त कुल योग में मउरानीपुर, बंगरा, बडागांव, बबोना, गुरसराय है इनकी क्षेत्रफल

23.50 हैक्टेयर तक फैला हुआ है। इनको अनुमानित लागत 10.575 हजार थी और 1,17.500 लाख श्रम कार्य करते हैं। 35.000/- जनसंख्या ग्रामीण टैकों को गहरा करने में कार्य करती है।

सारणी 2.5

जनपद स्तरीय पंचायत घर का निर्माण

क्रम सं०	नाम	: कहां पर	: अनुमानित	:मैनडेजको	: जनसंख्या
:	:	: स्थित है	: लागत	:अलगकरना	को लाभान्वित
:	:	:	:	:	: होना
1	2	3	4	5	6
55					
1	घिरगांव	घिरगांव गांव में	5,01.438/-	22.382	70.000
2	झांसी	झांसी शहर में	5,00.273/-	27.792	8,00.800

पुनः इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि घिरगांव में पंचायत , उद्योग ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण किया गया है इसमें 5,01.438 लाख की अनुमानित लागत का सृजन किया गया इसमें 22,382 लाख श्रम दिनों के रोजगार थे और इसके अतिरिक्त 70,000 लाख तक जनसंख्या का लाभान्वित किया गया अर्थात् जनपद स्तरीय पंचायत घर का निर्माण झांसी शहर में किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 5,00,273 लाख रूपया थी। और इसमें 27.792 लाख श्रम दिनों तक रोजगार का सृजन किया जाता है। और इसमें 80.8000 लाख रू0 तक जनसंख्या का लाभान्वित का सृजन किया गया है।

सारणी 2.6

जनपद झोंसी में पंचायत घर एवं सामुदायिक केन्द्रों और सामाजिक वानिकी के निर्माण की अनुमानित लागत:-

क्रम संख्या:	ब्लाक का नाम	ग्राम सभा का नाम	अनुमानित लागत रुपये में
1	मउरानीपुर	मान्डा	68,750.00
2.	बंगरा	बंगरा	68,750.00
3.	मौठ	बमरौली	68,750.00
4.	बडागांव	भगवन्तपुरा	68,750.00
5.	गुरसराय	मारकुआं	68,750.00
6.	चिरगांव	बेठाहरा	68,750.00
7.	बामौर	बामौर	68,750.00
8.	बबीना	धिसौली	68,750.00
योग:-			5,50,000.00

इस सारणी द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जनपद झोंसी में पंचायत घर सामुदायिक और सामाजिक वानिकी के निर्माण पर अनुमानित लागत उठानी पड़ी। मउरानीपुर ब्लाक में इसके निर्माण के लिए अनुमानित लागत 68,7500 रु० आंकी गई। इसके अतिरिक्त बंगरा, मौठ, बडागांव गुरसराय, चिरगांव, बामौर, बबीना में भी इस परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए क्रमशः 68,750 रुपये की लागत का अनुमान किया गया।

1.	१ ब्लॉक का नाम कड़ा १ मऊरानीपुर १ बंगरा १ मौठ १ यिरगांव १ बडगांव १ गुरतराय १ बबीना स्थित है।								
2.	गांव सभा का नाम	मान्द्रा	बंगरा	बमरौली	बोहरा	भणवन्तपुरा	मारकुआं	धिनीली	
3.	गांव सभा की जनसंख्या	1385	1025	1230	3500	3670	2076	1020	
4.	जनसंख्या अनुसूचित जाति	465	278	800	1925	1513	845	201	
5.	गांव से पंचायत घर की निकटतम दूरी	---	---	6 कि०मी०	8 कि०मी०	3 कि०मी०	---	8 कि०मी०	
6.	पंचायत घर और सामाजिक निकायों का नाम	68.750/-	68.750/-	68.750/-	68.750/-	68.750/-	68.750/-	68.750/-	68.750/-
7.	गांवों में बेरोजगार परिवारों की सं०	27	25	40	65	73	35	63	
8.	मजदूरों की लागत	3820	3820	3820	3820	3820	3820	3820	
9.	मजदूरों की भर्त्सिका स्थिति	उपलब्ध	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय	
10.	गांव से दूसरे गांवों की दूरी जिस स्थान पर कार्य हो रहा है।	निल	निल	3कि०मी०	---	3कि०मी०	निल	निल	

सारणी 2.7 की अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि पंचायत घर का निर्माण किया गया है। इसके अन्तर्गत मान्द्रा गांव सभा मऊरानीपुर ब्लॉक में स्थित है इस गांव सभा की कुल जनसंख्या 1385 लाख रू० थी । और 465 लाख अनुसूचित जाति थी और गांव से पंचायत घर की निकटतम दूरी 68.750/- थी और गांव में बेरोजगार परिवारों की संख्या 27 थी इसके अतिरिक्त मजदूरों की लागत 3820 लाख रू० थी और मजदूरों की भर्तीका स्त्रोत उपलब्ध नहीं हुआ, अर्थात् बमरौली गांव सभा मौठ ब्लॉक में स्थित है इस गांव सभा की जनसंख्या 1230 लाख थी और इसको अनुसूचित जाति की जनसंख्या 800 लाख तक थी । गांव से पंचायत घर की निकटतम दूरी 6 कि०मी० तक थी पंचायत घर और सामानिक वानिकी लागत 68,750/- थी गांव में बेरोजगार परिवारों की संख्या 40 थी और इसमें मजदूरों की भर्ती का स्त्रोत स्थानीय होता है इसके अतिरिक्त गांव से दूसरे गावों को दूरी 3 कि०मी० है।

भगवन्तपुरा गांव सभा बडा गांव ब्लॉक में स्थित है। इस गांव सभा की जनसंख्या 3670 लाख है और अनुसूचित जाति 1513 लाख रू० थी और गांव से पंचायत घर की निकटतम दूरी 3 कि०मी० थी इसके अतिरिक्त पंचायत घर औरसामाजिक वानिकी की लागत 68,750/- तक थी । इस गांव में बेरोजगार परिवारों की संख्या 73 है और इसमें मजदूरों की लागत 3820 लाख थी और इसी में और इसी में मजदूरों की भर्ती का स्त्रोत स्थानीय है एक गांव से दूसरे गावों को दूरी 3 कि०मी० तक थी।

बगेहरा गांव सभा चिरगांव ब्लक में स्थित है इस गांव सभा की जनसंख्या 3500 लाख रु० है। इसकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1925 लाख रु० तक है और गांव से पंचायत घर की निकटतम दूरी 8 कि.मी. है और इसमें पंचायत घर और सामाजिक चिकित्सकी लागत 68.750/- है इसके अन्तर्गत गांव में बेरोजगार परिवारों की संख्या 65 है। और मजदूरों की लागत 3820 लाख रु० तक थी इसी में मजदूरों की भर्ती का स्त्रोत स्थानीय माना जाता है।

झाँसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 1988-89
की कार्य प्रणाली

इस योजना में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के आठौ विकास खण्डों में श्रमिकों को यह लाभ दिया गया है जिससे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को रोजगार किया जाना आवश्यक है। इसमें योजना के निर्माण में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मछली पालन विकास की इकाई और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की इकाई है ये सब झाँसी में सुलभ किए गए हैं। गांवों में तालाबों को खोदना और इनका सुधान करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार देना और उनके रहन सहन का सृजन करना और छोटे व मध्यम किसानों को कृषि कार्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है इसमें छोटे और आर्थिक बोजों के उत्पादन के साथ साथ

मत्स्य पालन के लिए जलाशयों का निर्माण करना चाहिए । जिससे मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण और विस्तार केन्द्र के साथ साथ जलाशयों का निर्माण करना चाहिए।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है और रोजगार की सुविधा का होना और भूमिहीन व्यक्तियों को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसाध करना चाहिए ।

सारणी 2.8

जिला झॉसी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार नारण्टो कार्यक्रम 1988-89 की योजना

वस्तु	१ योजना 1	१ योजना.2	१ योजना.3	१ योजना.4	योग
1	2	3	4	5	6
1. कार्यका उद्देश्य	ग्रामीण जलाशयों मत्स्य को गहरा करना एवं उनकी नवीनीकरण	पालन	गुल्ल का निर्माण	जलाशयों का निर्माण	योग
2. योजनाका नाम	उन क्षेत्रोंमें जहाँ अनुसूचित जाति और पिछडा वर्ग आवाद है।				
3. अनुमानित लागत १लाख में१	29.25	13,735	2.33	23.17	68.485
4.					
११ वेत कम्पोनेन्ट १लाख१	20.56	7,533	0.58	13.90	42.593
१२ मोनेवेग कम्पोनेन्ट १लाख१	8.69	6.202	1.75	9.25	25.912
5. मेनडेजक्रियान्वित १लाख में१	1.52	0.558	0.043	1.02	3.191
6. इकाइयाँ	लघुसिंचाई और जिला ग्राम्य विकास अभि. झॉसी	एफ. एफ. डी. ए. और जिला ग्राम्य विकास अभि. झॉसी	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झॉसी	ग्रामीणयांत्रिक कार्य, झॉसी	---
7. योजना का रखरखाव	लघुसिंचाई झॉसी	एल. एफ. डी. ए. झॉसी	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झॉसी	ग्रामीण यांत्रिक कार्य, झॉसी	---
8. श्रमिक और माल का अनुमान	70.30	25.75	25.75	60.40	62.38

योजना : I

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को गहरा करना एवं उनका नवीनीकरण करना:-

इस योजना के अतिरिक्त यह महसूस किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार के उचित अवसर सुलभ हो सके, जो रोजगार विभिन्न प्रकार की इकाइयों में सरकार को भी काफ़ी महत्त्व दिया जा रहा है। लघु सिंचाई उनमें से एक इकाई है, जो श्रमिकों द्वारा किया जाता है लघु सिंचाईका कार्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है इस योजना के उद्देश्य और कार्यप्रणाली को एक दूसरे के अधिन माना गया है ।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाना और उनके वृद्ध विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराना है। झॉसी जनपद में जलाशयों के द्वारा सिंचाई कार्य चन्देलों और बुन्देलों के समय से ही चला आ रहा है, सिंचाई के लिए जलाशयों का सृजन किया जाता है। योजना लघु सिंचाई एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झॉसी के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की योजना को चालू रखने के लिए योजना के पूर्ण हो जाने पर योजना कारख रखाव लघु सिंचाई विभाग झॉसी द्वारा किया जाता है। इसमें लगभग एक वर्ष में अपना कार्य समाप्त करता है। और इसकी कुल लागत 29.25 लाख रु थी उनमें से 20.56 लाख रु का वेतन किया गया, 8.69 लाख बिना वेतन कम्पोनेन्ट के रूप में होती है।

इसमें लगभग 1.52 लाख मैनडेज क्रियान्वित थी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है।

प्रथम यह ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में सहायता होगी और द्वितीय यह छोटे और लघु किसानों को कृषि उत्पादन के कार्यों में सिंचाई को बढ़ावा देगी, जो कि झॉसी जनपद के लिए अति आवश्यक माना जाता है।

योजना:-

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | जलाशयों की संख्या | 16 |
| 2. | अनुमानित लागत | 29.25 लाख |
| 3. | भैरुदेज क्रियान्वित | 1.52 लाख |
| 4. | योजना की सम्पत्ति दि. | 31 मार्च 1989 |
| 5. | क्रियान्वित इकाई | लघु सिंचाई और त्रिला
ग्राम्य विकास अभिकरण,
झॉसी |
-

राज्य उत्तर प्रदेश

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

मैनेज के नम्बर: वि

क्रमसं०: योजनाका : कार्यका : चालू वर्ष में जो साधन लाख में : केलन : कुल लागत: खाय पदार्थ : मैनेज के नम्बर: वि

: नाम : नाम : चादिर : प्रशासनिक खर्च के साथ:माल की कीमत: : 2+3+4 : को खपत : जोकि चालू वर्ष : : नाम : नाम : चादिर : प्रशासनिक खर्च के साथ:माल की कीमत: : 2+3+4 : को खपत : जोकि चालू वर्ष :

: में प्रसार मेंआर्यो: : लाख में

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दकलोरि	जलाशय	0.081	0.99	1.35	1.63	15.00	6.100
2	कृमिलिया	"	0.142	1.574	1.58	3.32	17.55	0.117
3	मानकुआं	"	0.060	0.528	2.18	2.85	24.15	0.161
4	परकुआं	"	0.062	0.170	0.98	1.21	10.80	0.072
5	कोटेरा	"	0.058	0.612	0.938	1.25	12.75	0.069
6	बडगांवधर्द	"	0.129	0.250	0.49	1.16	5.40	0.036
7	दादिया	"	0.052	0.513	2.45	3.09	9.75	0.181
8	घाटकोटेरा	"	0.124	0.108	0.88	1.04	12.45	0.065
9	पाटरी	"	0.124	0.226	1.13	2.48	8.25	0.083
10	बरोररा	"	0.047	0.153	0.75	0.95	14.40	0.055
11	गादुआकखार	"	0.075	0.205	1.22	1.50	12.75	0.096
12	सिखारी बुर्गा	"	0.066	0.114	1.15	1.33	15.15	0.085
13	लोहाररी	"	0.101	0.539	1.38	2.02	15.15	0.101
14	झाला	"	0.791	0.131	1.37	1.58	15.15	0.101
15	अचौसा	"	0.117	0.723	1.50	2.34	16.65	0.111
16	रेव	"	0.075	0.205	1.22	1.50	13.50	0.090

योग 1.44 7.25 20.56 29.25 230.85 1.52

योजना:- 2

ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास के लिए योजना:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि झोंसी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारों को भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार ग्रामीण विकास में बढ़ावा देना। झोंसी मण्डल में अच्छी व बढ़िया मछली पालन की आवश्यकता रहती है। इसमें दो मुख्य बातों का अनुमान किया गया है १। लघु अधिक हैचरी बीज के उत्पादन का निर्माण के साथ साथ मछली पालन की नरसरी का निर्माण करना २। मत्स्य पालन कितान प्रशिक्षण और विस्तार केन्द्र जिससे कि डिमोन्स्ट्रेशन तालाब है।

इसकी अनुमानित लागत 13.75 लाख रू० है इस योजना के अन्तर्गत लगभग 0.55 लाख कार्यों का सम्पूर्ण विवरण इस योजना के अन्तर्गत खेत्तार में लघु नरसरी का रखरखाव करता है। तालाबों की लागत 13.735 लाख है। उच्च कार्य प्रारम्भ होने के वित्त वर्ष 1989-90 के अन्त तक पूरा होने से स्थाई रूप से गरीबों को ग्रामीण समुदाय को वित्तीय सहायता के खर्च के रूप में इस प्रकार विभक्त है।

प्रथम वर्ष मुख्य निर्माण कार्य 12.55 लाख द्वितीय वर्ष काँटेदार तारों की बाँड 120 लाख इस योजना के रोजगार जो कि क्रियान्वित के अन्तर्गत अनुमानित लागत की गई है। जो लगभग 0.558 लाख है।

ग्रामीण समुदाय के विकास को बढ़ावा देना इसको ग्रामीण व्यक्तियों को स्थाई तौर पर रोजगार मिल सकें, जिससे वह अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इस योजना के अतिरिक्त

अन्तदेशीय मत्स्य पालन का स्पर्स आने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना सहायक होती है।

क्रियान्वित इकाई के प्रस्तावित कार्य मत्स्यपालन और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झॉसी की देखरेख में पूरा किया जाता है योजना का रख रखाव मत्स्य पालन विकास के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है इसके लिए विकास खण्ड स्तर पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है।

झॉसी जनपद में मछली का अनुपाल लगभग 15 कि. टन /हेक्टेयर/वर्ष आंका गया है। इसके अन्तर्गत अच्छे किस्म के बीज के लिए वह स्वयं में आत्मनिर्भर हो सकेगा, जिसके सवेक्षण करने पर लगभग 50 लाख आंका गया है।

योजना-2 =====

1. कार्य का नाम	मत्स्य पालन
2. अनुमानित लागत	13.135 लाख
3. मैनेज क्रियान्वित	0.558 लाख
4. योजना की समाप्ति दि.	31 मार्च, 1980
5. क्रियान्वित इकाई	एफ.एफ.डो.ए. और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झॉसी

योजना का वार्षिक प्लान नई योजनाओं के तहत जो कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जायें वर्ष 88-89

जनपद होंसी

राज्य उत्तर प्रदेश

राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश	राज्य उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योजना का नाम	कार्य के क्रमबद्ध योजना का नाम	समय के अन्तर्गत	कुल साधन जो इस योजना के अन्तर्गत आवधिक है लाख में	योजना के कम्पोजिट	योजना के कम्पोजिट	कुल लागत	खपत की	खपत की	खपत की
अन्तर्गत पुराहोना	इस योजना के स्थान	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना	योजना के समाप्त होना
महली पालने के विकास को योजना के सम्बन्ध में	नरु हैचरी बरसरी और डिमोन्स्ट्रेशन और पौण्ड और केन्द्रों के विस्तार के निर्माण के सम्बन्ध में	खैलार	दो वर्ष	7-535	0.65	5-565	13-75	83-72	

वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0.63	4.865	12.55	80.4	0.558	0.536	लघु हैचरी केन्द्र को बढाना			

सारणी 2.11

खेलार योजना

रेनक्सचर §1§

कार्य का वितरण	मात्रा	रूपये
2	3	4
स्पाउडेग:- तालाब, ईट व आर.सी.सी. तालाब 8.0 डायम और 1.4मी. अनुपातगहरा	1 नम्बर	60,000
इनकरवन्सन पौण्ड ईट व आर.सी.सी. पैपण्ड 3.6मी. डायम जिसके अन्दर एक और चेम्बर स्क्रीन के साथ गहरा 1.2 मीटर	2 नम्बर	30,000
हैचिंग पौण्ड ईट व आर.सी.सी. दोवाल 4.0एमx25x1.2 मी.	1 नम्बर	14,000
ओवर हैडवाटर टैक बोटम 2.5मी. जमीन की सतह से क्षमता 30,000मीटर	1 नम्बर	1,25,000
ट्यूब वेल पाइप लाइन के साथ	---	1,10,000
स्पाउडेग पौण्ड के लिए स्क्रीन रिमवजल एन.एस. पाइप	---	6,000
आपरेशनल शैटर		20,000
विविध कार्य जैसे कि कांटेदार तार की बाढ़ रास्ता बिजली की सप्लार्ई लाइन, 25 मी. x 25मी. निवास लिंकरोड आदि		40,000
योग		<u>4,05,000</u>

क्षेत्रीय आवदा 3X और एग्जिटवलिगमेंट

2X

सारणी 2.12

रेनक्तघरः द्वितीयः

खेलार योजना

क्रम संख्या :	कार्य का विवरण	: अनुमानित लागत : ₹रूपयों में
1	नर्तरी तालाबों का निर्माण ₹10 नम्बर	2, 15, 00
2.	फिअरिंग और बूड तालाबों का निर्माण ₹4 नम्बर	1, 60, 00
3.	काटिदार तारों की बाड	45, 00
	कुल योग	4, 20, 00
4.	क्षेत्रीय आषदा 3/ और 2/	21, 000
	एशटेव लिशमेंट चार्ज	
	कुल योग	4, 41, 000

सारणी 2.13

गुरतराब योजना

क्रम संख्या :	कार्य का विवरण :	लागत रूपयों में
1.	बिल्डिंग कार्य	2,00,000
2.	ट्यूब वेल और पाइप लाइन के साथ	1,00,000
3.	डिमोन्स्ट्रेशन तालाबों में मिट्टी का कार्य	1,40,000
4.	काटेदार तारों को बाड	35,000
	योग	4,85,000
	क्षेत्रीय आपदा 3/4 और एशेटवलिश मेंन्ट 2:1 लगभग	24,000
	योग	5,09,000

योजना- 3

गुल्त का निर्माण:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तिंचाई की स्थिति कमी के साथ साथ दिन प्रतिदिन गुल्त की कमी हो रही है। बुन्देलखण्ड में तिंचाई के लिए बड़े पैधों का निर्माण करना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की योजना के अन्दर और गुल्त के निर्माण की स्कीम बनाई गई है। कच्चे और बक्के गुल्त का निर्माण, तिंचाई की सुविधाओं के लिए उचित बिकात और छोटे व बड़े किसानों तथा भूमिहीन जनसंख्या के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था है। इस योजना के विकास खण्ड में बडामांवा तहसील झौंसी के ग्राम कोछामांवरमे स्थित है। इस योजना में तिंचाई के लिए कच्चे व बक्के गुल्त का निर्माण किया जाता है। जिन किसानों को अपनी फसल की तिंचाई के लिए कम पपनी मिलने के कारण छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों और भूमिहीन मजदूरों के रोजगार की आवश्यकता होती है। तो उनमें से अनुसूचित जाति और पिछड़े समुदायों को लाभ मिलता है। इसमें कोई हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित नहीं हुआ करता है। योजना की अनुमानित लागत 2.33 लाख आंकी गई है। जिसमें से वेतन भोगी कम्पोनेन्ट 0.50 लाख और अन्य 1.75% लाख बिना वेतन भोगी कम्पोनेन्ट की प्राप्त होती है। योजना की समाप्ति की अवधि कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में 6 माह के अन्दर पूरा कर किया जाता है। इस योजना में सामाजिक और आर्थिक लाभ के अन्तर्गत छोटे बड़े किसानों और भूमिहीन अधिकतर संख्या जो कि कमजोर जनसंख्या व अनुसूचित जनजाति के रहन सहन को बढावा देगी और इसके द्वारा जो जनसंख्या प्रभावित क्षेत्र भी लाभान्वित और तिंचाई की उत्तम व्यवस्था प्रदान की जाती है। इसमें कार्यकारी अभिकरण को जिला विकास अभिकरण झौंसी द्वारा किया जाता है।

इसके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों के साथ अनुसूचित जाति और अल्प पिछड़े समुदायों में योजना का रखरखाव, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झोंसी व्दारा किया जाता है।

योजना नं० 3

1.	कार्य का नाम	गुल्ल का निर्माण
2.	अनुमानित लागत	2.33 लाख
3.	मैनेटेज क्रियान्वित	0.043 लाख
4.	योजना की समाप्ति दिनांक	31 मार्च 1989
5.	क्रियान्वित इकाई	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झोंसी।

योजना का वार्षिक प्लान नई योजनाओं के तहत जो कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाएंगे

राज्य उत्तर प्रदेश

क्रमांक: योजना का :	कायके किसम :	योजना का :	वैतन	इस कुल माधन जो इतत योजना के दौरान कुल कौलम	आवश्यक	लाख रुपये में	बिना वैतन के कम्पौटेन	6+7+9	की खपत
:	तन्त्रम	:	वोइलत योजना के स्थान	:	योजना के	शान्तकीय रवर्ष	माज को		सी. टन
:	:	:	अन्तर्गत पूरे हो	:	समाप्त होने का	क्षेत्रीय आवदा	लागत		
:	:	:	ने है	:	समय	कम-खर्चा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गुल्ल का निर्वाह का निर्माण	परिश्रम	कोठामांवर बडगांव चिकारखंड	0.58	रकवर्ष	0.05	1.70	2.33	6.4

चालू वर्ष में माधन जो	आवश्यक है	लाख रुपों	अवतर्षी. टन. में	श्रम दिनों तक रोजगार का कार्यरत करना	भीतिकी लागत जो कि	अन्य विवरण	
बिना वैतन कम्पौटेन	काल योग	1+2+3		केवल मेनडेज में	योजना का समय	चालू वर्ष में	
शान्तकीय माजकी	कोयल लागत						
रवर्ष	क्षेत्रीय						
योजना	पदा						
का	खर्चा						
12	13	14	15	16	17	18	19

सारणी 215

मसं०:	मुख्य विवरण	इकाई	मूल्य	परिणाम होना
1.	भूमि को काम में नहर को बनावट का होना	2418.17	गम 4.30	1040.63
2.	भूमि के निर्माण में जलाशय की जमीन तथा नहर कीरचना	442.9	" 5.30	2347.37
3.	1:3:6 के अनुपात में बालू का निर्माण	116.7	" 393.00	45864.00
4.	1:4 के अनुपात में सीमेंट बालू से अच्छी किस्म की ईंटों का काम	154.84	" 593.00	81323.32
5.	1:4 के अनुपात में सीमेंट तथा बालू का प्लास्टर	1462.3	5ग्राम 12.00	17480.08
6.	पुराने जलाशयों का सुधार करना जलमार्गों को उँचे तरफ नीचे तक की ओर लाना	तैकिण्ड जाब	रल/3	5,000.00
7.	उन्नति के चिन्ह	"	रल/5	60,000.00
योग				2,22,482.50
5% क्षेत्रीय आषदा और कार्यालय आक्रमण करना				11,124.12
कुल योग				<u>2,33,606.62</u>

योजना:- 4

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण ग्रामीण इन्जीनियरिंग सेवा उत्तर प्रदेश झॉसी मण्डल में है।

झॉसी जनपद ग्रामीण क्षेत्र है जो पहाडी और मैदानी है जो कि तालाबों के लिए अच्छी जगह है, बल्कि पानी को इकट्ठा करने के लिए वर्षा के बाद आम व्यक्तियों को पानी की समस्याएँ और जानवरों अन्य घरेलू उपयोग की कमी महसूस करता है। इस पानी का उपयोग जानवरों, घरेलू उपयोग मत्स्य पालन और सिंचाई के काम आते है। चन्देल और बुन्देल के द्वारा इस प्रकार के तालाबों का निर्माण किया जाता है जिसके बाद वहाँ के लोगों को लाभ प्राप्त हुआ करते है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के आस पास रहने वाले कमजोर लोगों को 20 सूत्री और न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ मिल सकता है। इस योजना का स्थान झॉसी जनपद के बंगरा, गुरतराय और घिरगाँव विकास खण्ड गांवों में होगी। योजना की अनुमति लागत 23.17 लाख रुपये की आवश्यक है इसको लगभग 1.2977 लाख मैनेज , जो कि उत्पादित किए जाते है। इसके कार्य में 100% योजना के पूर्व होने के लिए जो समय लगेगा और उसको वित्तीय वर्ष 1987-88 और 1988-89 तक आवश्यक होती है।

इसमें क्रियान्वित अभिकरण ग्रामीण आर.ई.ई. योजना में है
 ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अन्तर्गत कमजोर लोगों के आर्थिक
 रहन सहन को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य बालन और कृषि के उत्पादन में वृद्धि
 होगी, और बानी की दूरी को दूर किया जाता है। और इससे
 ज्यादा जानवरों को जो कि ग्रामीण लोगों के आर्थिक रहन सहन को बढ़ावा
 मिलेगा।

योजना -4

1.	जलाशयों की संख्या	नौ 9
2.	अनुमानित लागत	23.17 लाख
3.	मैनड्रेब क्रियान्वित	1.02 लाख
4.	योजना को तर्जिहित दि.	31.3.1989
5.	क्रियान्वित इकाई	ग्रामीण इन्जो नियरिंग यांत्रिक

तारीख 2.15

गामोण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम चाल वर्ष में 1988-89 में खिल साधनों की आवश्यकता और उनको चाल रखने में और नई खिलनाये।

क्र.सं.	योजनाका नाम	खण्ड का नाम	प्रशासनिक खर्च	माल की लागत	अनुमानित लागत	कुल लागत	खर्च परदार्थकी खपत की मात्रा टुमी. टन	मैनेज का नम्बर
1.	ररमपुर	गुरसराय	10090.00	70630.00	1, 12, 080.00	2, 01, 800.00	13, 452	8968
2.	सिमरथा	"	15235.00	106645.00	1, 82, 820.00	3, 04, 700.00	20, 313	13542
3.	कदौर	"	13155.00	94605.00	1, 62, 180.00	2, 77, 300.00	18, 020	12013
4.	पाटा	बंगरा	9805.00	68635.00	1, 17, 600.00	1, 96, 100.00	13, 073	8715
5.	हथुआ	"	13680.00	95760.00	1, 64, 160.00	2, 73, 600.00	18, 240	12160
6.	आलुवा	"	13680.00	95760.00	1, 64, 160.00	2, 73, 600.00	18240	12160
7.	रमपुर	धिरगांव	13680.00	93660.00	1, 64, 160.00	6, 67, 600.00	17, 840	11894
8.	मुदाई	"	14460.00	1, 01, 220.00	1, 73, 520.00	2, 89, 200.00	19, 820	12853
9.	दिलाली	"	12005.00	84035.00	1, 44, 060.00	2, 40, 100.00	16, 008	10672
कुल योग			1, 15, 850.00	8, 10, 950.00	13, 90, 200.00	23, 17, 000.00	154467	1, 02, 977

तारकी 2.16 के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के चालू वर्ष में 1988-89 में जिन ताधनों की आवश्यकता और उनकी चालू रहने में और नयी योजनायें की आवश्यकता हैं इसके अतिरिक्त रामपुर गुरतराय ब्लाक में स्थित हैं इतकी पशुशासनिक खर्चों के लिए देवीय आपदा का 10090.00 लाख रु० तक कि मषी है और इतमें माल की लागत का 70630.00 करोड़ रु० का तृजन किया गया था। और अनुमानित लागत 1,12,080,00 करोड थी और इतकी कुल लागत 2,01,800,00 करोड़ रु० थी। इतके अन्तर्गत खाद्य पदार्थ की खपत की मात्रा 13,452 मीटरी टन थी और 8968 ग्रम दिनों तक व्यवताय करते हैं।

रामपुर घिरगांव गांव में स्थित है इतका पशुशासनिक खर्चों के साथ-साथ वैतीष आपदा 13680,00 लाख थे। और माल की लागत 9366.00 करोड़ रु० और अनुमानित लागत 1,64,160.00 करोड रु० थी और कुल लागत का 6.67,600.00 करोड़ रु० का तृजन किया गया। अर्थात् खाद्य पदार्थ की खपत की मात्रा 17,840 मीटरी टन थी और ग्रम दिनों तक 11894 तक व्यव किया जाता था

इतके अतिरिक्त गुरतराय, बंगरा, घिरगांव के कुल योग में पशुशासनिक खर्चों के साथ-साथ क्षेत्रीय आपदा 1,15,850.00 करोड़ रु० तक थे और माल की लागत का 8,10,950,00 करोड़ रु० तक व्यव किया गया। इतकी कुल लागत का 23,17,467 मीटरी टन था। और 1,02,977 ग्रम दिनों तक व्यवताय किया जाता था।

अध्याय-तीन
ग्राम्य विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार कार्यक्रम की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तभी पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक रहा है। और तातवीं उत्पादकता व पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों पर दुःखिद रौटी, काम और उत्पादकता रखा गया है। इन उद्देश्यों पर दुःखिदपात करने से हमें यह तोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि उष वर्षों के नियो-जित विकास काल के बाद भी हमें हमारी अनिवार्यता अर्थात् रौटी व और काम की समस्या से जूडना पड़ रहा है। इन समस्याओं से उचित समय में ही सुचित पाने के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में बुनियादी विस्तार व विकास को तेवार्यें आरम्भ की गयी। इत कार्यक्रम से ग्रामीण लोगों में विकास की संभावनाओंक सम्बन्ध में जागृति पैदा हुई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमोका एक अंग है, राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। यह कार्यक्रम निर्धनता के निवारण बेरोजगारी से कमी तथा विधमता मेर्र कमी लाने में क्या भूमिका अदाकर रहा है तथा इत सम्बन्ध में तरकार की क्या नीति है। इत बात का अध्ययन प्रस्तुत अध्यय मेर्रx किया गया है।

ऐतिहासिक परिषेक्ष्य में कार्यक्रम विस्तार :-

तभी पंचवर्षीय योजनाओं में एक प्रमुख लक्ष्य गरीबी, बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लाना है। इत लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति यह रही है कि रोजगार अवतरों में काफी वृद्धि करके गरीब लोगों के हित में आय और उपभोग के

अनुपात का फिर से निर्धारण करने के प्रयास किये जाये। अतीत में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज जैसे रोजगार बढ़ाने वाले कार्यक्रमों से जो अनुभव मिला उसी के कलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की रचना हुई। यह कार्यक्रम प्रयोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ किया गया है और इतका खर्च केन्द्रगतया राज्यों द्वारा आधा-आधा वहन करने की व्यवस्था की गयी।

उद्देश्य:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तीन मुख्य उद्देश्य हैं।

- ॥1॥ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार लोगों के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन
- ॥2॥ गांव के आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये उत्पादन स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण
- ॥3॥ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समये जीवन स्तर में सुधार करना।

यह कार्यक्रम देश भर में प्रारम्भ किया गया तथा यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना कार्यों का निष्पादन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा बनाये गये शिल्प आक प्रोजेक्ट एवं वार्षिक कार्ययोजनाओं के आधार पर किया जाता है। कार्य का निष्पादन मुख्यतः या बंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है जहाँ कहीं ऐसी संस्थाएँ सक्रिय हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लगे मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है। मजदूरी का कुछ भाग खाद्यान्नों के रूप में दिया जाता है।

गेहूँ एक रूपये 50 पैसे प्रति किलो, गाम को दर से वितरित किया जाता है तथा सामान्य बढ़िया और अधिक अच्छे किस्म के चावल की आपूर्ति क्रमशः 1 रूपया 85 पैसे, 1 रूपया 95 पैसे और 2रु० 10 पैसे प्रति किलो गाम की दर से की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं महिलाओं को अधिक वरीयता दी जाती है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वि जाने वाले कार्य - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी

उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने वाले सभी प्रकार के ग्रामीण निर्माण कार्य शुरू किये जा सकते हैं मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित है।

१। सरकारी बंचायतों आदि की सामुदायिक जमीनों पर सामाजिक बानिकी कार्य, तड़की तथा नदियों की दोनों तटों तथा बंजर भूमि एवं रेलवे लाईन के साथ बड़ी भूमि आदि पर बोधरोपण

२। मिट्टी तथा जल संरक्षण कार्य।

३। लघु सिंचाई कार्य तथा सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण, माध्यमिक तथा मुख्य नालियों एवं खेत की नालियों आदि का निर्माण

४। बाढ़ बचाव, नालियों तथा बल मराव के कार्य

५। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्य तथा ग्रामीण तलाबों का निर्माण व नवीनीकरण

६। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों की निजी जातों पर और मू-सीमा से कालतू भूमि के आंबटियों आदि की भूमि पर सिंचाई कुओं तथा खेत की नालियों का निर्माण।

7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तदर्थों और मुक्त बंधुआ श्रमिकों के लिए सुविधा सम्बन्ध बस्तियों में आवातों का निर्माण।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण तथा ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य।
9. निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण तहकों का निर्माण।
10. प्राथमिक पाठशाला के भवनों का निर्माण, इसके अलावा ग्रामीण बच्चों के भवनों, गोदामों सामुदायिक कर्मशाला, मण्डी के अहातों आदि का निर्माण सामान्यतया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्हीं कार्यों को शुरू किया जाता है। जिनसे सामुदायिक श्रमिकों का निर्माण होता है। परन्तु ऐसे कार्यक्रमों को भी हाथ में लेने की अनुमति है। जिनसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति बंधुआ मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को लाभ पहुंचता है।

छठी योजना की उपलब्धियाँ:-

छठी योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में 1620 करोड़ ₹ का श्रम सुलभ किया गया था। तथापि योजनावधि के लिए वास्तविक आबन्तन 1873 करोड़ ₹ था। छठी योजना के कार्य निष्पादन की तालिका में दर्शाया गया है:-

सारणी-1

छठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्य निष्पादन

वर्ष	नकद निधियों की उपयोगिता [करोड़ ₹ में]	साधन उपयोगिता [लाखों में]	रोजगार सृजन [मिलियन श्रमिकों]
1980-81	225.28	13.34	413.58
1981-82	318.48	2.33	354.20
1982-83	396.12	1.72	351.20
1983-84	392.89	1.47	302.76
1984-85	501.48	1.71	353.12

॥ नई दिल्ली ॥

छठी योजनावधि ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिये बड़ी संख्या में परियोजनाओं का तुलना किया गया है। इसका विवरण तालिका 2 में देखा जा सकता है।

तालिका-2

छठी योजना में परियोजनाओं का तुलना

क्र०सं०	परियोजनाओं का विवरण	इकाई	उपलब्धि
1-	ग्रामीण वानिकी के अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	4.69
2-	तिंचाई, कुर, तमुद्र आवात	लाख संख्या	4.80
3-	गोखों के तालाबों का निर्माण	" "	0.54
4-	लघु तिंचाई द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	9.32
5-	भूमि सुधार, भूमि सुधार द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	5.14
6-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुधार	लाख कि०मी०	4.45
7-	बैजल कुर/ तालाब	लाख संख्या	0.61
8-	स्कूल/बालबाड़ी आदि का निर्माण	" "	2.23
9-	अन्य कार्य	लाख संख्या	2.07

स्रोत :- वाही ग्रामोद्योग।

सातवी योजना की मूल प्राथमिकतायें भोजन, कार्य, तथा उत्पादकता है। सातवी योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बेहतर योजना, कड़ी निगरानी और मजबूत संगठन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सातवी योजना की अधिधी में 1236.66 करोड रू० के राज्यों के अंशदान तहत 2487.47 करोड रू० के परिलब्धय की व्यवस्था की गई है। योजना के दौरान यह परिकल्पना की गई है कि प्रतिवर्ष लगभग 290 मिलियन श्रम दिनों का सृजन किया जाएगा। वर्ष 1985-86 और 1986-87 दिसम्बर 1987 तक का विवरण सारणी -3 में दर्शाया गया है-

सारणी - 3

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कार्य निष्पादन

वर्ष	नकद निधियों की उपयोगिता करोड में	खाद्यान्न की उपयोगिता लाखमोटरी	रोजगार सृजन मिलियन श्रम दिवस
1985-86	530.80	5-81	316
1986-87	396-00	7-88	256-30

कार्यक्रम के लाभ:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से एक ओर तो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है तो दूसरी ओर उनके समस्त विकास का परिलेश भी तैयार होता है। इसका सबसे अधिक लाभ भूमिहीन मजदूरों

को मिलता है क्योंकि देहातों में ये दो वे लोग है जो बेरोजगार भी होते है। और जरूरत मद भी । कित गाँव में कौन 2 से निर्माण कार्य उपयोगी होंगे, इसका निर्णय करने के लिए बंचायती राज संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। इसमें ठेकेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह कार्यक्रम का लाभ सीधे मजदूरों को मिलता है और वे शोषण से बच जाते है। और मजदूरी न्यूनतम अधिनियम के अनुसार मजदूरी होते है। इसके अलावा गरीबी के जोवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामुदायिक लाभ हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण भी किया जाता है। चाहे गाँव में स्कूल भवन का निर्माण हो जाए । अथवा औद्योगिक बन जाए अथवा पक्का व स्वच्छ कुआ ही बन जाए तो वह असहाय ग्रामोण के लिए कितना उपयोगी होगा यह तो वही लोग बता सकते है जिनके बच्चे अच्छे स्कूल भवन में पढ लिख सकें स्वस्थ वातावरण में जी सकें । और यदि बीमार हो जाए तो चिकित्सा सुविधायें प्राप्त कर सकें । इस तरह से ये कार्यक्रम निश्चित रूप से पीढी के लिए भी वरदान सिद्ध होंगे।

विचारार्थ मुद्दे:-

इस कार्यक्रम के बारे में तीन गम्भीर प्रश्न ये है

1. भुगतान की गई मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के बारे में प्राप्त शिकायतें
2. महिलाओं की भागेदारों में कमी ।
3. चषन की गई परियोजनाओं और क्षेत्र में पता लगाए गए आधार भूत ढांचे का बेमेल होना।

उक्त प्रश्नों पर गम्भीर रूप से विचार करने एवं गहन जांच को आवश्यकता है। यह पता लगाना जरूरी है कि क्षेत्रों में मजदूरी को

बाजार दर इतनी कम क्यों है? इसे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा
 इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए कानून ही पर्याप्त नहीं है।
 इसके पीछे उपयुक्त आर्थिक वातावरण सृजन करने की भावना भी होनी
 चाहिए तभी हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से
 ग्रामीण इलाकों में गरिबी और रोजगार की कमी जैसे गम्भीर चुनौतियों
 का सामना कर पाएंगे। और हमारी आयोजना के प्राथमिक उद्देश्य में
 भोजन काम एवं उत्पादकता प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यक्रम के संचालन की अवधि:-
 =====

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य
 को वर्ष में कार्यक्रम की आयोजनासमन्वयन पुनरीक्षा निगरानी सर्वेक्षण
 पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उत्तरदायी
 होगा। निर्माण कार्य का सम्पादन जिले की विभिन्न कार्यकारी/तंस्थाओं
 /खण्ड विकास अधिकारियों एवं अन्य स्वयंसेवी तंस्थाओं द्वारा किया
 जाता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु जिला
 ग्राम्य विकास अभिकरण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। निर्माण कार्य
 से सम्बन्धित प्रगति विवरण/रिपोर्टिंगने का उत्तरदायित्व अधिकरण
 कार्यालय हीता है।

ठेकेदारी पर प्रतिबन्ध-
 =====

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों
 को किसी भी दशा में शामिल नहीं किया जाता है। तत्पश्चात् बरीयत
 के आधार पर ग्राम बंवायतों क्षेत्र समितियों एवं अन्य निर्माण तंस्थाओं के
 कार्य सम्पादित किया जाता है। ताकि वे स्थानीय श्रमिकों को सीधा
 रोजगार मिल सकें।

अनुप्रवण:-

=====

जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में तेनाव, अवर अभियन्ता सहायक ~~अभियन्त्रण~~ अभियन्त्रण एवं अन्य सम्बन्धी उच्च अधिकारी जनपद में इस योजना तत्र चल रहे निर्माण कार्यों के अनुप्रवण के लिए उत्तरदायी होना है, वह मौके पर जाकर कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को जांच करेंगे एवं कार्यों के उचित क्रियान्वयन हेतु पूर्ण निगरानी रखेंगे।

विगत वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा:-


विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन एवं गेहूँ ~~खाद्यान्न~~ की उपलब्धता एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

॥अ॥ सारणी -4

क्र. सं.	वर्ष	धन की उपलब्धता	गेहूँ की उपलब्धता	कुल प्राप्त	कुल व्यय
		लाख रुपये में	लाख रु. में	लाख रु. में	लाख रु. में
1	1982-83	82.03	—	82.03	49.95
2.	1983-84	119.47	—	119.47	86.83
3.	1984-85	87.21	4.14	91.35	68.95
4.	1985-86	85.30	10.72	96.02	81-81
5.	1986-87	112.42	42.42	115.00	118.78
6.	1987-88	172.58	40.42	213.01	128.22
7.	1988-89	202.97	32.97	235.94	—

विगत वर्ष शासन 172-58 लाख रु० एवं 40.42 लाख रुपए के खाद्यान्न सहित कुल 213.01 लाख रुपये का परिचय इस जनपद के लिए निर्धारित किया गया है।


झौंसी जनपद में
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
मानव दिवस सृजन तदर्थ एवं उपलब्धि
१९८२-८४



संख्या - १९-८२/८९

(व) सारणी - ४

घर की उपलब्धता एवं व्यय (एक रुपये में)



औसी जनपद में
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
वित्तीय संसाधन आवंटन एवं व्यय
१९८३-८४

(अ) सारणी

11/10/83
11/10/83

विभिन्न वर्षों में शासन से इत योजनान्तर्गत निम्न प्रकार से मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति निम्नवत् रही है:-

बू सारणी -4

क्रम सं०:	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	प्राप्ति का प्रतिशत
1.	1982-83	8.77	5-36	16.11%
2.	1983-84	3.55	6.51	183.89%
3.	1984-85	4-54	3-61	101.97%
4.	1985-86	3.86	3.89	100.77%
5.	1986-87	4.86	6.14	126.33%
6.	1987-88	5.83	6.01	103.08%
7.	1988-89	8.85	—	—

झांसी जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:-

वर्ष 1988-89 हेतु रणनीति:-

वर्ष 1988-89 हेतु शासन से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 20297 लाख रुपये नकद एवं 164 रुपये प्रति कुन्टल की दर से 2011 मीटरी टन गेहूँ का आवंटन किया गया है। जिसके फलस्वरूप 8.85 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तथिब, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक
4552/30-4/1988, दि० 4 मई 1988 के द्वारा वर्तमान वर्ष
में कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित नीतियों के आधार पर
किया गया है

1. प्रशासनीय व्यय हेतु व्यय की सीमा:-
===== इत कार्यक्रम
के अन्तर्गत निर्धारित नकद धनराशि के कुल वार्षिक परिव्यय
का 3% तक प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग किया जा सकता है।
2. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम:-
===== सामाजिक वानिकी
कार्यों हेतु कुल नगद धनराशि के परिव्यय की 25% धनराशि
मात्राकृत की जाती है।
3. सामान्यतः 2.5 हेक्टेअर से कम भूमि पर सामाजिक
वानिकी की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अपने स्तर से पंचायतों
स्कूलों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से एवं 2.5 हेक्टेअर से
अधिक वन विभाग द्वारा किए जाते हैं।
3. सामुदायिक विकास केन्द्र:-
===== इस वर्ष में एक नवीन सामु-
दायिक विकास केन्द्र के निर्माण नहीं कराया जाता है।
गत दो वर्षों के अवशेष केन्द्र इस वर्ष हर हालत में तमय बढ़
तरतीके से पूर्ण किए जाते हैं।
4. प्राइमरी भवनों का निर्माण:-
===== राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के लिए
भवनों का भी निर्माण भी किया गया है।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
लाभार्थ कार्य:-
 =====

जनपद हेतु संसाधनों के निर्धारित वार्षिक परिचय का कम से कम 10% अनुसूचित जाति/जनजाति व मुख्य बन्धुआ मजदूरों के लाभार्थ कार्य हेतु मात्रकृत किया जाता है।

6. ग्राम पंचायत का योगदान:-
 ===== 50,000/- तक की लागत से शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य तथा छण्डजा, पेयजल, कूप पुलिया इत्यादि ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया गया है।

7. सृजित परिसम्पत्तियों का अनुप्रवण :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 तक सृजित परिसम्पत्तियों के अनुप्रवण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वार्षिक परिचय में 10% धनराशि मात्रकृत की जाती है।

8. निर्बल वर्ग हेतु आवास निर्माण:-
 ===== ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत की निर्बल वर्ग हेतु आवास निर्माण का प्राविधान किया गया है।

9. अन्य कार्य:- इसके अन्तर्गत भूमि विकास उपजाऊ भूमि को खेती व वृक्षारोपण योग्य बनाने सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत इस वर्ष के अनुपात में मुहैया की 244-85 लाख रुपए के लिए स्वीकृत किया जाता है जिनका क्रियान्वयन, विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं/खण्ड विकास अधिकारी/सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया है। उक्त निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 127.07 लाख रु और 117.78 लाख रुपये सामग्री अंश पर व्यय किए गए जिसकी फलस्वरूप 9.438 लाख रुपये मानव दिवसों का सृजन किया है। संक्षिप्त में इस वर्ष आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

ग्रामीण सड़क निर्माण, पुलिया/रिपट खण्डला निर्माण इत्यादि:-
=====

सड़क निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई श्रम प्रधान एवं उत्पादन योजनाओं में से एक है। यह एक रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है। इन बातों की आवश्यकता मजदूरी घटक कुल लागत का कम से कम 50% अवश्य है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु निम्न मानक अपनाए है:-

1. भूमि की न्यूनतम चौड़ाई:- 12.0 मीटर
2. सड़क मार्ग रचना की न्यूनतम चौड़ाई:- 7.5 मीटर
3. वाहन मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई:- 30 मीटर उच्च प्राधिकारी की अनुमति से 6 मीटर तक की छूट दी गई है।
4. वाहन मार्ग की चौड़ाई :- 6.50 मीटर
=====

सड़क की न्यूनतम निर्मित ऊँचाई उच्चतम बाढ़ स्तर से कम

से कम 0.6 मीटर ऊँची रखी गई है। क्योंकि झॉसी क्षेत्र में पत्थर बाहुल्य क्षेत्र है, अतः यहाँ पर पुलिया/रिपटा निर्माण एवं खण्डजा निर्माण में पत्थर का उपयोग किया गया है। भारतीय मानव संख्या 458 के अनुसार एन.पी.-2 टाइप, पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप के ऊपर कम से कम 0.6 मीटर का मिट्टी का प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से इस वर्ष ग्रामीण सड़कों, पुलिया/रिपटा एवं खण्डजा निर्माण हेतु मुहैया 124.40 लाख रुपए की योजनाओं क्रियान्वित की गई है। जिसके तदुपरान्त 94.31 किमी. ग्रामीण सड़क खण्डजा, फलस्वल्प 4.517 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।

भूमि संरक्षण कार्य:-

===== इस वर्ष भूमि संरक्षण कार्य के अन्तर्गत

21 बन्धी निर्माण का कार्य क्रियान्वित किया गया है जिसको भूमि संरक्षण अधिकारी, झॉसी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी- डी.ए.पी. ए.पी.के माध्यम से कराया गया है इस निर्माण कार्य से जल स्तर उठाया गया है। जिसके फलस्वल्प सिंचाई के साधनों में वृद्धि की जाएगी तथा अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है इस योजना के क्रियान्वयन से खाद्यान्न की उत्पादकता भी बढ़ाई सकती है। इस योजना हेतु मुहैया 16.39 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसके फलस्वल्प 0.9223 लाख रुपए का मानव दिवस का सृजन किया गया है।

स्कूल भवन निर्माण:-

===== इस वर्ष 1988-89 से शासन वद्वारा

सामुदायिक केन्द्र निर्माण के स्थान पर स्कूल भवनों का निर्माण किया है। वे प्राइमरी पाठशालाएँ जो कि भवनहीन है, को प्राथमिकता

दी गई है। इस जनपद में इस वर्ष 17 स्कूल भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 67.00 लाख की लागत से बनाने वाले इन स्कूल भवन निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झोंसी द्वारा 5.627 लाख रूपय का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप 0.204 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।

सामाजिक वानिकी कार्य:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के दौरान सामाजिक वानिकी कार्य सरकारी एवं सामुदायिक भूमि पर सड़कों, रेलवे लाइन के किनारों, नहरों के किनारों किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार के जल चारा ईंधन इत्यादि के वृक्षारोपित किए जाते हैं।

विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की इस वर्ष मु0 33.460 लाख की योजना सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाती है। फलस्वरूप 1001.21 हेक्टेअर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्य सम्पादित किए गए हैं। उक्त योजना से 1-54 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।

हरिजन आवास निर्माण:-

इन्दिरा आवास योजना की तरह ही इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हरिजन आवासों का निर्माण किया है इस वर्ष जनपद में 896 हरिजन आवास का निर्माण किया गया है, जिसके लिए फलस्वरूप 1.592 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है।

अनुरक्षण:कार्य:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 1985-86 तक की सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु इस योजनान्तर्गत कुल परिव्यय का 10% तक व्यय किया जा सकता है। इस वर्ष 22 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग एवं 22 चेकडैम के अनुरक्षण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस कार्य पर मु0 10.802 लाख रूप0 का व्यय किया गया है, जिसके फलस्वरूप लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

वर्ष 1988-89 के दौरान सामाजिक वानिकी के कार्यो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत

राज्य उत्तर प्रदेश जिला बॉली

क्रम. सं.	निर्माणकार्योकी मदेन	युनिटे	योजनाए की सं.		अपेक्षीत निधियां	
			पिछले वर्ष के अधरे निर्माण कार्य	नए निर्माण के कार्य	पिछले वर्ष के अधरे कार्य	मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7
अ. सामाजिक वानिकी						
१।	लिया गया क्षेत्र	हेक्टेअर में	113	250.21 हेक्टेयर 13.3 कि.मी.	2.579	3.19
२।	लगाए गए पेड	संख्या	—	6.38 हेक्टेअर 12.34 लाख		
ब. प्रत्यक्ष उत्पादी स्वल्प की आर्थिक परि सम्पत्तियां						
1. खेत की नीतियां						
क।	लम्बाई	कि.मी.	—	—	—	—
ख।	लाभान्वित क्षेत्र	हेक्टे.	—	90.8	—	—
2.	भूमि संरक्षण तथा भूमि-समीतलीकरण	हेक्टे.	—	685.30	—	—
3.	गांवों के तालाबों नहरों का निर्माण	संख्या	—	—	—	1.26
स। सामाजिक आर्थिक सामुदायिक कल्याण परि सम्पत्तियां						
1.	पेयजलकअं तथा अन्य जल संरचा क्षेत्रों की व्यवस्था		—	—	—	—
2.	ग्रामीण सडके	कि.मी.	21.65	72.665	3.064	14.356
3.	स्कूल भवन	संरचा	—	17	—	—
4.	घरों का निर्माण	"	—	896	—	—
5.	भवनों का निर्माण	"	7	—	2.229	2.201
द. भवनों के अतिरिक्त अन्य कार्य						
1.	चेकडेम अनुरक्षण	"	—	22	—	—
2.	सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण	कि.मी.	—	56.50	—	—
कुल योग			7.872		21.000	

एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ कार्यों सहित
शुरू किये जाने वाले कार्यों की वार्षिक योजना

सारणी-5		धनराशि - लाख रुपये में रोजगार सृजन लाख मानव दिवस	
धनराशि		सम्भावित रोजगार का सृजन	
नये निर्माण कार्य			
मजदूरी	भर-मजदूरी	पिछले अधूरे कार्य	नये कार्य
8	9	10	11
8.425	9.265	0.191	1.351
-	-	-	-
0.823	1.247	-	0.061
11.982	4.408	-	0.89233
-	-	0.10956	-
0.78	0.12	-	0.058
56.21204	50.77426	20.45	4.27265
2.754	2.873	-	0.204
21.496	21.512	-	1.592
-	-	0.057	-
2.42	3.78	-	0.17916
2.301	2.301	-	0.17048
117.94304	98.03026	0.60256	8.83562

वर्ष 1988-89 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ कर्षणों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कर्षण

के अन्तर्गत मूल किर नर निर्माण कार्यों की वार्षिक योजना:-

सारणी 3.5

राज्य उत्तर प्रदेश जिला बौली

धनराशि:- लाख मानव दिवस में रोजगार सृजन लाख मानव दिवस में।

क्रम सं०	निर्माण कार्योंकीमदें	युनिटें	योजनाओं की संख्या	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान			
1	योजनाएं	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
2	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
3	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
4	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
5	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
6	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
7	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
8	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
9	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
10	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
11	निर्माण कार्य	निर्माण	अपेक्षित निर्धियों	धनराशि	सम्भावित योजनाका अनुमान				
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचितजनजाति के लाभार्थ कार्य	संख्या	17	0.162	1.638	4.574	10.166	0.021	0.3392

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदारी अधिकारी
वार वार्षिक कार्यवाही योजना**

सारणी: 3.6

क्रम सं०	कार्यकारी अधिकारी विभाग का नाम	संख्या यूनिट	सामग्री पर व्यय ₹लाख रुपये में	प्रमाण पर व्यय नगद में ₹लाख रुपये
1.	2.	3.	4.	5.
1-	खण्ड विकास अधिकारी, बडागाँव	8	2.013	2.6429
2-	खण्ड विकास अधिकारी, बबीना	13	2.932	2.6322
3-	खण्ड विकास अधिकारी, घिरगाँव	11	3.335971	1.99937
4-	खण्ड विकास अधिकारी, बंगरा	18	4.9655	2.93259
5-	खण्ड विकास अधिकारी, मोठ	7	3.123	1.853
6-	खण्ड विकास अधिकारी, मठरानीपुर	12	1.46619	1.70229
7-	खण्ड विकास अधिकारी, बामौर	7	3.768	2.849
8-	खण्ड विकास अधिकारी, गुरतराय	6	0.728	2.094
9-	बी०एच०एच०डी०पी०एच०पी०, झॉंती	3	2.345	6.71
10-	बी०एच०एच०, झॉंती	9	2.408	2.62748
11-	अस्थायी खण्ड ता०नि०वि०झॉंती प्रान्तीय खण्ड	6	6.71	10.92
12-	ता०नि०वि०, झॉंती	4	3.5665	3.86147
13-	डी०पी०आर०ओ०, झॉंती	162	3.45	2.414
14-	उपवन संरक्षक, झॉंती	48	5.644	4.959
15-	सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झॉंती	28	7.054	4.97944
16-	जिला परिषद, झॉंती	12	12.9355	6.938
17-	ग्रामीण अभियंता सेवा, झॉंती	62	28.1916	21.55379
18-	हरि०एच०नि०व०लि०, झॉंती	896	21.512	17.576
19-	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, घिरगाँव	1	0.38	0.221
20-	सपरार प्रखण्ड, झॉंती	1	1.247	0.673
कुल योग:-		11313	117.77826	101.75972

बाघान्न की मात्रा मीटरी टन	बाघान्न का मूल्य लाख रुपये	योग लाख रुपये 54749	सजित किये जाने वाले मानव दिवस	अन्य विवरण
6.	7.	8.	9.	10.
34.836	0.57271	4.85	0.21034	
35.850	0.586	6.150	0.2390	
37.249	0.44666	5.782	0.18167	
58.245	0.94991	8.848	0.2877	
25.230	0.414	5.390	0.1682	
25.123	0.41282	3.5813	10.15703	
38.700	0.633	7.250	0.258	
28.50	0.466	3.288	0.19	
169.55	2.635	11.69	0.697	
39.393	0.64452	5.68	0.24233	
163.25	2.65	20.28	1.005	
67.793	1.11203	8.54	0.36837	
32.778	0.536	6.40	0.12852	
64.50	1.059	11.662	0.42	
83.965	1.37356	13.41	0.48672	
115.473	1.8945	21.768	0.65429	
295.645	4.81061	54.556	1.97094	
238.80	3.92	43.008	1.592	
3.00	0.049	0.65	0.02	
9.15	0.15	2.07	0.61	
1157.8	25.31522	244.8533	9.43818	

0.9 0.04 0.01 0.005 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.0001

डॉ. जी. जगपद ने
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
कार्यकारी अधिकारीवार योजनाओं की जांच
१९८३-८४

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

डॉ. जी. जगपद ने

सर्णी 3.9
राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार कार्यक्रम कोवर्ष 1988-89 की विकास खण्डवार वार्षिक कार्यवाही योजना


क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	सामग्री	नकद	खाद्यान्न की मात्रा	खाद्यान्न का मूल्य	योगलक्ष	मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बडगांव	18.4345	10.69293	175.119	2.87157	31.999	1.00361
2.	बबीना	8.841	7.35451	10.107	1.65849	17.854	0.66885
3.	धिरगांव	11.48257	9.3306	126.886	2.08037	22.696	0.8311
4.	मीठ	11.6225	6.640649	106.474	1.74001	19.769	0.6023
5.	बंरगा	15.0415	10.57713	148.521	2.38973	28.008	0.97915
6.	मऊरानीपुरा	11.46819	9.87746	141.935	2.33465	23.6803	0.88871
7.	गुरसराय	16.09	19.8846	309.387	4.9994	40.903	1.89258
8.	बामौर	24.869	27.83354	447.688	7.24146	59.944	2.62155
कुल योग		17.77826	101.75972	1157.08	25.31532	244.8533	9.43818

हॉली नवपद मे

वेमन विकास-के डेरे-सी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम विकास खण्डवार योजनाओं की लागत

१९८३-८४



विकास खण्ड

संख्या ३७

इस तारणी के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 की विकास ऋणवार वार्षिक कार्यवाही योजना में विकास ऋण के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि विकास ऋण में बडागांव में 18.4385 लाख रु० की सामग्री है और उसको नकद करने में 10.69293 लाख रुपये थे और उनकी खाद्यान्नों की मात्रा 175.119 मीटरी टन है। और इनकी खाद्यान्नों का मूल्य 2.87151 लाख रु० है। इनका कुल योग 31.999 लाख रुपये थे। और इसमें मानव दिवस को 1.00361 लाख रु० का सृजित किया गया है। इसके अलावा गुरतराय में 16.09 लाख रुपये की सामग्री का प्रयोग किया गया है। और इसको नकद 19.8846 लाख रु० में किया तथा इनकी खाद्यान्नों की मात्रा 309.397 मीटरी टन है। और इन्हीं खाद्यान्नों की मूल्य 4.9994 लाख है इनका योग 40.903 लाख रु० है और इनकी मानव दिवस का 1.89258 लाख रुपये में व्यवसाय किया गया है। अर्थात् बबीना, बडागांव धिरगांव, मोठ, बंगरा, मऊरानीपुर सभी का कुल योग में 17.77826 लाख रु० सामग्री का योग किया गया और खाद्यान्नों की मात्रा 1157.08 मीटरी टन है। और खाद्यान्नों का मूल्य 25.31532 लाख रु० है इसका मूल्य योग 2448533 लाख रु० है। और इसमें मानव दिवस का 9.43818 लाख रु० का व्यवसाय किया गया है।

अध्याय-चार

झांसी जनपद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी
कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव जीवन की प्राथमिक एवं न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं में अन्न, जल और वस्तु के साथ ही आवास सुविधा भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त बन्धुआ श्रमिकों के लिए रोजगार देने एवं एक तथार्थ सम्पत्ति उपलब्ध कर उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाता है।

वर्तमान समय में भारत सरकार के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.45 करोड़ रु० की लागत से विभिन्न जनपदों में 30.32 करोड़ रु० तक आवास प्रतिविकास खण्डों की दर से 27.514 आवास निर्मित किए जाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले आवासीय भवनों के निर्माण में कार्यरत समूह के लिए आवश्यक बहकें पथ प्रदर्शन प्रदान करता है। पुस्तिका में उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन अ के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न भागों में निर्मित किए जाने वाले आवासीय भवनों के डिजाइन तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले भवन सामग्रियों का मानकीकरण कर, निर्माण योजना की तकनीकी कठिनाइयों को सरल एवं सुलभ रूप से प्रयास किया जाता है। आवासीय भवन बनाने हेतु कुछ अन्य आवश्यक निर्देश:-

§ 1 § आवासीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था:-
 =====

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण {डी०आर०डी०ए०} के अन्तर्गत प्रशासकीय

व्यवस्था का संगठन शासनादेश संख्या जी-1-128/38-6-1664/17 दि010-7-81 के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूर्व में भेजे गए अ0शा0पत्रांक 26 एम/38-4-85, दि016अगस्त 1985 में निहित निर्देशों का परिपालन करना अपेक्षित है।

§2§ आवासीय प्रायोजना का स्थल चयन:- आवासीय प्रायोजना के लिए स्थल चयन ऐसे क्षेत्रों में करना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो तथा जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के भूमिहीन मजदूरों का बाहुल्य है स्थल चयन जहां तक सम्भव हो समतल स्थान पर वर्तमान आबादी क्षेत्र के सन्निकट ही रहना चाहिए।

§3§ निवास क्षेत्र स्थान की संकल्पना:- आवास समूहों के अभिन्यास में मितव्ययिता तथा प्राकृतिक प्रकाश की उपलब्धता संवाहन आदि दृष्टि-कोणों को ध्यान में रखा गया है। आवास से सम्बन्धित अन्य मूलभूत सुविधायें जैसे गन्दगी के निवास के लिए नालिया, शौच, पेयजल व्यवस्था, मुख्य सड़क तथा पहुँचने का मार्ग आदि का प्राविधान कर दिया गया है।

आवासों का अभिकल्पना में क्षेत्र के विद्यमान सामाजिक रीति रिवाजों रहन-सहन भौगोलिक स्थिति जलवायु मिट्टी की किस्म, वर्तमान वास्तुशिल्प पद्धति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है।

§4§ आवास समूह:- आवासों का निर्माण यहां तक सम्भव हो कम से कम 20 आवासों के समूह के रूप में रखने पर लाभार्थियों को अन्य सुविधाओं को प्रदान करने में मितव्ययिता होती रहती है।

5§ लाभार्थियों को धन का आवंटन:-

====शासनादेश सं0 2029/38
सेल-85, दि020-11-85 के प्रस्तर 8 पर निहित निर्देशानुसार लाभार्थियों

को आवास बनाने हेतु प्रथम 50% की क्षति ले आउट के पश्चात् तथा शेष 50% की द्वितीय क्षति छत के लिए सभी दीवारों के बनाने के पश्चात् दी जानी चाहिए।

18} आवासीय भवनों का आगठित मूल्य:-

===== इसमें कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्रालय के पत्रांक एम0/30-15/9/81 एन0आर0ई0पी0दि0

24 जुलाई 1985 में निहित निर्देशों के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के पदारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार प्रकार के आवासीय भवनों के डिजाइन तैयार किए जाते हैं:-

इन आवासीय भवनों के मूल्य निम्न तालिका में वर्णित किया है:-

सारणी:- 4.1

क्रम सं०	क्षेत्र	आगठित मूल्य प्रति आवास रू. में		कुल मूल्य
		आवास शाखालय के साथ	आवश्यक संसाधन	
1	पूर्व क्षेत्र	6000/-	3000/-	9000/-
2.	केन्द्रीय एवं पश्चिमी क्षेत्र	6000/-	3000/-	9000/-
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	6000/-	3000/-	9000/-
4.	पहाडी क्षेत्र	6000/-	3000/-	9000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड और मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसी भूमि जो काली कपासी मिट्टी की श्रेणी में आते हैं। में मकान की नींव के निर्माण के लिए स्वयं 1800/- की अतिरिक्त धनराशिका प्राविधान किया कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुसार मजदूरी कर अंश पूर्ण लागत के 50% से कम न हो सकें।

सारणी 3 4:2

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए जाने वाले
आवासों का आगणन:-

अ आगणन:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक आवास

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	दरस्वया	मूल्यस्वया
1	2	3	4	5
1.	नींव मेमिट्टी की खुदाई का कार्य	6.01 धनमी.	6.00/धन मीटर	30.00 /-
2.	नींव में मिट्टी के गारे में पत्थर की चिनाई का कार्य	7.79 धनमी०	72.00 धन मी०	560.88/-
3.	सुपर स्ट्रक्टर में मिट्टी के गारे के साथ पत्थर की चिनाई का कार्य	16.16 धन मी०	92.00 धन मी०	1486.72/-
4.	स्थानीय लकड़ी के एक दरवाजे और दो खिड़कियों की आपूर्ति एवं लगवाई	-	-	370.00/-
5.	कुटाई की गई फर्श पर मिट्टी गोबर की लिपाई का कार्य	20.91 वर्गमी०	3.40 वर्ग मी०	81.81/-
6.	लिनथ एवं इसके किनारे मिट्टी की मराई एवं कुटाई का कार्य	6.27 धनमी.	3.00 धन मी.	81.81/-
7.	लकड़ी के कार्य पर लकड़ी के परिरक्षण लेप की आपूर्ति एवं पुताई का कार्य	-----	-----	100.00/-
8.	आवासके बाहर एगूनमें मिट्टी की कुटाई का कार्य	---	---	25.00/-
9.	नहाने का चबतरा	---	---	200.00/-
10.	दरवाजे और खिड़की पर प्राथमिक लेप का कार्य	6.218 वर्ग मी.	12.4/वर्ग मी.	77.84/-
11.	साल बल्ली, बास आदि की संरचना के उपर समस्त सामग्री सहित	28.5 "	56.00/-	2156.00/-
12.	अन्य मद	---	---	89.60/-
कुल योग			रूपये	5300.00

ब कम लागत का उप आगणन/पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार

एक आवास की लागत अ + ब रूपये 700.00
रूपये 6000.00

सारणी :- 4.3

24 आवासों के समूह के लिए आवश्यक संसाधनों का आगणन

84

:: बुन्देलखण्ड क्षेत्र ::

क्रमसं.	कार्य का विवरण मजदूरी दर सहित	मात्रा	दर	स्वधे	मूल्य रु० में
1.	2	3	4	5	
1.	भूमि समतलन:- औसत 50 से.मी. की कटाई अथवा भराई में 24 आवासों हेतु मिट्टी का कार्य	1834-18 घनमीटर	4.80 रु.		8808.86 रु.
2.	<u>जल निवास सुविधा:-</u>				
	<u>क</u> मिट्टी का कार्य:-				
	1 प्लॉट के अन्तर 30 से.मी. चौड़ी एवं 23 से.मी. औसत बाहरी नाली 24 आवास के समूह हेतु	33.12 घनमीटर	---		---
	2 रेसोई के बाहर पक्की नाली हेतु प्रश्रुति आवास 2.5 मीटर लम्बी, औसत आन्तरिक	14.40 घनमीटर	---		---
	3 आन्तरिक मार्गों के किनारे स्थानीय पत्थर की चुनाई औसत आन्तरिक 37 से.मी. गहरी 30 से.मी. चौड़ा कुल 192 मी. लम्बी नालियाँ	124.42 घनमीटर	---		---
	4 पहुँचमार्ग के किनारे औसत 1 मीटर गहरी 90 से.मी. चौड़ी एवं 800 मीटर लम्बी नाली	7.20 घनमीटर	---		---
	कुल योग	971.94 घनमीटर	4.80 रु.		8808.869 रु.

क्रम. & कार्य का विवरण मजदूरी दर सहित	मात्रा	दर रु. में	मूल्य रु. में
खी नींव में पत्थर की चुनाई का कार्य			
1 रेसोर्ड के बाहर पक्की नाली	7.20	-----	-----
	घनमीटर		
2 आन्तरिक मार्गी हेतु स्थानीय पत्थर की चुनाई की पक्की नाली	97.72	-----	-----
	घनमीटर		
कुल योग	105.12	62.00	7568.64
	घनमीटर		
ग 1.6 सीमेंटरेत के मसोल से टीष का कार्य:			
1 रेसोर्ड से बाहर की पक्की नाली	60 वर्गमीटर		
2 आन्तरिक मार्गी के किनारे की पक्की नाली	326.400		
	वर्गमीटर		
कुल योग	386.40	9.85	3806.04
	वर्गमीटर	रुपए	रुपये
3. पहुचमार्ग 800मीटर लम्बाई :-			
क मिट्टी भराई का कार्य औसत 50 से.मी. उंची एवं 6मी. चौड़ाई आन्तरिक मार्गी पर औसत 30 से.मी. उंची भराई है।	2646.96	4.30	1133.52
	घनमीटर		
ख 30से.मी. मोटाई की स्थानीय पत्थर को सोलिंग 3 मी. चौड़ाई में पहुचमार्ग के केवल 100मी. लम्बाई	163.66	72.02	11783.52
	घनमीटर		
4. पेयजल व्यवस्था:- इण्डिया मार्क 12 हेण्डपम्प का प्राविधान	एक मद्द	-----	15000.00
5. वृक्षारोपण:- आन्तरिक मार्गी पर वृक्षारोपण का कार्य मय स्थानीय पत्थर से बनार मय वृक्ष संरक्षण के साथ	एक मद्द	-----	2500.00
6. अन्य मद्द	एक मद्द	-----	747.00
कुल योग	-----	.	72000.00

प्रति आवात आवश्यक संसाधन

7200

24

रुपये 3000/-

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्बल वर्ग के परिवारों को विषय आवासीय समस्या के निदान हेतु ग्राम्य विकास विभाग को "निर्बल वर्ग आवासयोजना" एवं हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को "हरिजन गृह निर्माण योजना" के स्थान पर "नवीन योजना, जिसका नाम "निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना" कहा गया है। इस योजना के अधीन प्रदेश के समस्त जनपदों को जून 1979 तक 2 लाख मकानों का निर्माण दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में 2 अक्टूबर, 1988 से 28 फरवरी 1989 तक और दूसरा चरण को 1 फरवरी 1989 से 30 जून, 1989 तक निर्माण किया जाना है इन संस्थाओं को आवंटित जिलों के नाम एवं उनमें निमित होने वाले आवासों के लक्ष्यों को निम्नलिखित कार्यक्रम निर्गत किए जा सके हैं-

§1§ मकानों की लागत:- इस योजना के अधीन मैदानी क्षेत्रों में 6000/- की लागत के तथा पर्वतीय एवं काली मिट्टी वाले क्षेत्र में 7000/- की लागतों का निर्माण कराया जाता है।

§2§ ग्रामों का चयन:- इस जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा विकास खण्डों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों के निर्धारण के समय विकास खण्ड के आधार ध्यान में रखकर उन विकास खण्डों में जिनमें ग्राम सभाओं की संख्या जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार लक्ष्यों को कम किया जा सकता है तथा बड़े विकास खण्डों में ग्राम सभाओं की संख्या के अनुसार लक्ष्यों में वृद्धि कर सकते हैं।

मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक चयनित ग्राम में न्यूनतम 10 आवासों का निर्माण कराया जाता है। पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में आवासों की संख्या 5 होगी। चयन में बड़े कृषि उत्पादन एवं प्रमुख सचिव के पत्र संख्या 3523/87/प्रशि10 मानक ग्राम जून, 1981 के तारतम्य में चयनित मानक ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है।

§3§ लाभार्थियों का चयन:- लाभार्थियों का चयन

ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक रजिस्टार के आधार पर निर्धारित अर्हताओं के अनुसार किया जाता है। यदि ग्राम में युक्त मंगल/दल/महिला मंगल दल गठित है तो उनके अध्यक्षों से भी बैठक के अख आयोजनकी सूचना के कृषि का प्रसार करने के लिये अनुरोध किया जाता है।

बैठक में ग्राम विकास अधिकारी /ग्राम पंचायत अधिकारी जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधितया विकास खण्ड से कम से कम सहायक विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी भाग लेते है।

§4§ लाभार्थियों की अर्हता:- §क§ लाभार्थियों की परिवारिक आय समस्त स्रोतों से ₹04800/- वार्षिक की सीमा से नीचे होनी चाहिए।

§ख. § इन लाभार्थियों को अर्ह माना जाता है, जिनके पास सुसुक्ति आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके कि राजस्व विभाग के आवादी स्थल आवंटन कार्यक्रम के तहत ऐसे लाभार्थी उपलब्ध होते है। जो अभी तक आवंटित स्थल पर भवन निर्माण नहीं कर सके, तो उन्हें वरीयता दी जाती है।

§ग§ योजना के समस्त लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे।

§5§ निर्माण स्थल:- मकानों का निर्माण लाभार्थी की सहमति से यथासम्भव राजस्व विभाग द्वारा आवंटित आवास स्थलों पर किया गया है।

§6§ निर्माण कार्यों की व्यवस्था:- मकानों का निर्माण लाभार्थी की सहमति के द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों की देखरेख में विकास खण्ड में कार्यरत अपर अभियन्ताओं के तकनीकी पर्यवेक्षण में किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है- 1-प्रत्येक चयनित ग्राम में लाभार्थियों का एक निर्माण समूह

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा गठित किया गया है।

2. प्रत्येक समूह सदस्यों द्वारा एक लाभार्थी का चयन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है।

3. निर्माण समूह का सचिव संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी होगी/आवश्यकतानुसार विकास खण्डके किसी अन्य अधिकारी को भी इसहेतु नामित किया जाता है।

4. उपरोक्तानुसार करार गए निर्माण कार्यों में व्यय की गई धनराशि का लेखा जोखा तथा वाउचर्स आदि का रख रखाव समूह के सचिव द्वारा किया गया है। कार्य समाप्त होने के उपरान्त सचिव के द्वारा वाउचर्स लेखा जोखा खण्ड विकास अधिकारी को 10 दिवस के अन्दर अवश्य प्रस्तुत किये जाते हैं।

5- योजना के अधीन निर्मित आवासों में रोजगार योजनाओं से दी गयी धनराशि का 50 % श्रम के रूप में व्यय करते हैं। इन योजनाओं के निर्धारित मानकों के अनुसार मानव दिवस तृजित किये जाते हैं।

6- निर्माण सामग्री की व्यवस्था :-

शासन द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रबन्धा जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड में निर्धारित लक्ष्यों के अनुस्यू निर्मित कराये जाने वाले मकानों के लिए नानलेवी सीमेंट का प्रयोग किया गया है। इस कार्य में उनकी सहायता जिला पूर्ति अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी {आपूर्ति} होंगे।

7- तकनीकी पर्यवेक्षण :-

इसमें निर्माण की आवश्यक तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड में तैनात ग्रामीण अभियन्त्रणा सेवा के अवर अभियन्ता अथवा अन्य सिंचाई इन कार्यों को समय से कराये जाने वाले अधीनस्थ अन्य विभागों के अभियन्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

8- वित्तीय व्यवस्था :- योजना में प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए मैदानी क्षेत्र में 6000/- की मानक लागत हो और इसमें 4,000/- का अनुमान होना चाहिए, जिसमें 3,000/- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारण्टी योजना से देय होगा एवं ₹ 1,000/- राज्य बजट से उपलब्ध कराया जाता है बर्फी पर्वतीय एवं काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में 78,00/- की मानक लागत के लिए अनुदान की धनराशि 5,800/- होगी तब श्रम की धनराशि मैदानी क्षेत्रों की भांति 2,000/- तक लेनी चाहिए इन क्षेत्रों में ₹ 1,800/- के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था भी रोजगार योजनाओं से की जाती है ।

9- अनुदान एवं श्रम की धनराशि का विकास :- इसमें प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए किये जाने वाले ₹ 2,000/- के श्रम के लिए जनपद के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण आवास परिषद व निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा अपने-अपने जनपदों में वांछित समस्त धनराशि जिलाधिकारी को उपलब्ध की जाती है । अनुदान के लिए राज्यबजट से एवं रोजगार योजनाओं से प्राप्त हुई धनराशि तथा श्रम के लिए दी जाने वाली धनराशि को जिला सहकारी बैंक में एक बचत बैंक खाता खोलकर जमा किया जाता है खाते का संचालन मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी & विकास / जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी & विकास / जिला विकास अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बैंक खातों में जमा धनराशि में से प्रत्येक विकास, विकास के लिए निर्धारित सभी विकास खण्डों को धनराशि से उपयुक्त की जाती है ।

जनपद स्तर पर श्रम व अनुदान की धनराशि को लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी & विकास / जिला विकास अधिकारी के अधीन गठित परिषद की इकाई में आवास विकास अधिकारी द्वारा कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी से प्राप्त होता है ।

10- ऋण की वसूली :-

योजना के अधीन लाभार्थियों को दिये गये ऋण की वसूली निर्धारित अवधि में 40 % वार्षिक ब्याज की दर पर छमाही किस्तों में की जाती है। किस्तों की अदायगी ऋण स्वीकृत होने की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ की जाती है।

11- प्रशासनिक व्यवस्था :-

योजना के समयान्तर्गत कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। इस कार्य में उनकी सहायता मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी विकास / जिला विकास अधिकारी करते हैं। विकास खण्ड स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का भार खण्ड विकास अधिकारी का होगा तथा जनपद स्तर पर ऋण एवं अनुदान की धनराशि की व्यवस्था, उसके विवरण निर्माण सामग्री की व्यवस्था, योजना के कार्यों में आवश्यक समन्वय व अनुमोदन आदि कार्यों के लिए परिषद के अधीन समस्त जनपदों में एक समूह गठित किया जायेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था
सारणी - 4.4

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1-	आवास विकास अधिकारी	1	850-720 रुपये
2-	सहायक लेखाकार	1	490-760 "
3-	सहायक श्रेणी तृतीय	1	360-550 "
4-	वाहन चालक	1	355-495 "
5-	चपरासी	1	305-390 "

इस समूह के प्रभारी के रूप में द्वितीय श्रेणी के खण्ड विकास अधिकारी, जिसका पद नाम आवास विकास अधिकारी होगा। यह समूह जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी विकास / जिला विकास अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करेगा तथा ग्रामीण आवास आयुक्त इसके विभागाध्यक्ष होते हैं।

12- योजना का अनुप्रवण :-

सम्पूर्ण योजना के अनुभव पर्यवेक्षण का मोडल उत्तरदायित्व ग्रामीण आवास परिषद का होगा है ।

प्रदेश स्तर पर ग्राम विकास विभाग की अन्य योजनाओं की भौतिक योजना के अनुप्रवण पर्यवेक्षण, एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का दायित्व ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय का होता है ।

इस योजना के कार्यान्वयन का समय-समय पर उच्च स्तरीय समीक्षा एवं उसमें आने वाली समस्याओं के निदान हेतु तात्कालिक निर्णय के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता एवं पूर्णाधिकार प्राप्त समिति का गठन शासन के आदेश संख्या 3342/38-5-400 {सम-29} दिनांक 5-9-88 द्वारा किया गया है ।

सारणी :- 4.5

निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास परिषद के अधीन
झांसी मण्डल के लक्ष्यों का निर्धारण, झांसी मण्डल
=====

क्र०सं० जनपद का नाम	विकास खण्डों की संख्या	आवासों की संख्या		योग
		भैदानी क्षेत्र	पर्वतीय / कठिनाई वाले क्षेत्र	
1- झांसी	8	-	1600	1600
2- बाँदा	13	1400	1200	2600
3- हमीरपुर	11	1200	1000	2200
4- जालौन	9	1000	800	1800
5- ललितपुर	6	-	1200	1200
झांसी मण्डल :-	47	3600	5800	9400

इस सारणी द्वारा झांसी मण्डल में निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास परिषद् के अधीन निर्माण किया गया है। झांसी में विकास खण्डों की संख्या 8 है तथा उनके आवासों की संख्या में मैदानी और पर्वतीय/ कठिनाई वाले क्षेत्रों की संख्या 1600 लाख है। और बादा के विकास खण्डों की संख्या 13 है और मैदानी क्षेत्रों की संख्या 1400 लाख है और पर्वतीय/ कठिनाई वाले क्षेत्रों की संख्या 1200 लाख रुपये थी इनका कुल योग 2600 लाख तक व्यवसाय किया गया है। हमीरपुर में विकास खण्डों की संख्या 11 है और आवासों की संख्या में मैदानी और पर्वतीय/कठिनाई वाले क्षेत्रों की संख्या 2200 लाख थी तथा इसके अतिरिक्त जालौन में विकास खण्डों की संख्या 9 थी और मैदानी और पर्वतीय वाले क्षेत्रों की संख्या 1800 लाख तक है। झांसी मण्डल में ही ललितपुर के विकास खण्डों की संख्या 6 है और मैदानी तथा पर्वतीय / कठिनाई वाले क्षेत्रों की संख्या 1200 लाख तक थी। इसके अतिरिक्त कुल योग में झांसी मण्डल में विकास खण्डों की संख्या 47 है और आवासों की संख्या में मैदानी क्षेत्र 3600 है तथा पर्वतीय/ कठिनाई वाले क्षेत्रों की संख्या 5800 लाख रुपये तक थी और इनका कुल योग 9400 तक व्यवसाय किया जाता है।

अध्याय-पांच
उपसंहार, समस्यार्ये एवं सुझाव

झांती मण्डल में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के संबंध में किये गये इस सर्वेक्षण कार्य से जो बस्तु स्थिति उभर कर सामने आयी है। उनका वास्तविक चित्र पिछले पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही एवं समय की सीमा के कारण यह संभव नहीं था कि मण्डल में प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया जाता है न ही यह संभव था कि पाँचों जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड के कुछ ग्रामों का चयन करने इस मूल्यांकन को सम्पन्न किया जाता है। फिर भी चयनित विकास खण्डों एवं उनमें से सर्वेक्षित ग्रामों तथा सम्पर्कित लाभार्थियों से जो जानकारीया प्राप्त हुई है वे प्रदेश के इस पिछले हुई क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। वास्तव में यही जानकारियों इस कार्यक्रम की वास्तविक सफलता और लोकप्रियता की मानवदंड क्योंकि इनसे लाभार्थियों के मन के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रतिक्रिया से इस कार्यक्रम के प्रति जमी आस्था तथा अनास्था स्पष्ट झलक मिली है।

प्रारम्भिक:- वेतन की दर एक सी होनी चाहिए विकास की योजनायें क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में ठीक प्रकार से उसका प्रयोग सकारात्मक हो सके। बल्कि वह एक फिजूल खर्च का सहारा है। इसका प्रभाव वेतन और मूल्यों के उपर एक साव नहीं प्रतीत होता है। 20 जिलों में से 7 जिलों का सत्र सर्वेक्षण -पी0ई0ओ0 के वल के द्वारा किया गया, तो यह पाया गया, कृषक श्रमिकों का वेतन बढ़ गया है। 20 जिलों में से 8 जिलों में खाद्य पदार्थों की कीमत स्थिर रही। सम्पूर्ण-योजनाओं की विस्तृत जानकारी करने पर यह पाया गया, कि उनका प्रभाव उनका प्रभाव इस संवेदनशील विषय पर पाया गया। हाजिरी का रजिस्ट्रार झूठे नामों से भरा पड़ा है। मिट्टी के वर्तन और फर्नीचर और सरकारी मकानों की देखभाल के लिए खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। खाद्य पदार्थों और उसके काम का दुर्प्रयोग जानबूझकर किया जाता है। दीकाम्पट्रेलर एवं आडोटर जनरल आफ इन्डिया में अपनी रिपोर्ट काम के

बदले खाद्य पदार्थों §15 मार्च, 1981 § में यह उल्लेखित किया गया है कि-

§1§ भारतीय खाद्य निगम के रिकार्ड में खाद्य पदार्थों की भाषा का कोई विवरण नहीं पाया गया, जिनके लिए 512 करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया था।

§2§ खाद्य पदार्थों की मात्रा जो दी गयी है वह उन खाद्य पदार्थों जो सही सही प्राप्त की गयी थी, उससे मेल नहीं खाती थी।

§3§ जो खाद्य पदार्थ जो ठेकेदारों को दिया गया, उसका कोई भी खात अन्य राज्यों में है जैसे राजस्थान । ये ठेकेदारों द्वारा आताम आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान राज्यों के केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्धनों ।

§4§ केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित दर से भी कम दर पर श्रमिकों को बांटा जा रहा है।

§5§ ज्यादा सड़कों का निर्माण सुधार कार्यक्रम में सड़कों की सतह पर अच्छे स्तर की नहीं थी और उन सड़कों पर कोई भी पुलिया या पुलों का विवरण नहीं दिया गया और उन पर ज्यादातर जो पूंजी लगायी गयी थी वह टिकाऊ नहीं थी। लेकिन गांवों की सड़के और गलियों के मार्ग और उनकी मरम्मत के कार्य ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक था। इस क्षेत्र में संस्था उन कार्यों की थी जो टिकाऊ नहीं थे। इसके साथ साथ निकासी के कार्यक्रम में शामिल थे।

सामान्यता रोजगार के अन्तर्गत श्रमिकों में बाकी वेतन नहीं दिया जाता था ।जैसा कि श्री राम कृष्ण के द्वारा जो तथ्यों की सूची राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के द्वारा आंकी गयी वह 1.38/-से 2.30/- प्रतिदिन औसतन सही वेतन आंका गया है।

यह योजना ग्रामोण समुदाय को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया ।कार्य की स्वरूपा इस प्रकार होनी चाहिए। जिससे उनकी मानसिक शान्ति और उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जैसा कि विशारिया में पाया है कि आधे मनुष्य

और 2/3 महिला किसान अपने कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य पर कार्य करने का मौका इतना लचीला था जो सिकुड़े या बढ़ जायें, जबकि पानी के पड़ने से उनकी फसल ज्यादा अच्छी होनी।

यह योजना ज्यादा और कम चलाने से रोजगार व गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है इनका उद्देश्य यह नहीं, कि व उत्पादन की क्षमता को बेरोजगारी की समस्या की उपजाऊ श्रमिक में बदल सके।

इस कार्यक्रम के द्वारा कमजोर समुदाय हित को जानवूझकर बढ़ावा देना है। जातिवाद के द्वारा कार्य के विभाजन की आवश्यकता के द्वारा निचली जातियों और पिछड़ी जन जातियों को उचित रोजगार का हिस्सा मिल सकें। इनमें से ज्यादा उचित और ठीक लाभ का वंटकारा जो कि बड़े संस्थानों के सुधार के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रोजगार की गुप्त रखा गया है। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और उत्पादन को एक साथ मिला दिया जाये अगर मूल्य स्थिर न रहे और पदार्थों के दाम प्राप्त न होने पर पूर्ण रोजगार के साथ रोजगार में जो पहले से ही नौकरी पर लगे व्यक्ति को ज्यादा झुकना अपने उपभोग और अतिरिक्त उत्पादन जो कि भर्ती भी पूरी नहीं हो सकती है उनके उपयोग में।

इनविकसित देशों में नौकरी की दर तीन से निचले दो है, इससे कम भारत में है। इस द्वितीय प्रभाव रोजगार में ज्यादा समय की जाहिर करना है। स्थानीय वातावरण के अनुसार ही औद्योगिकरण जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार की गुप्त रूप से चुनाव और उनको प्रोत्साहन देना है। रेशम के कीड़ों के पालन के विकास के द्वारा रोजगार का मौका 1/2 व्यक्ति प्रति एकड़ गहतत

की छेती और पालन की सुविधा प्रदान हो सकेंगी। 10 रु० के करीब लघु सिचाई में खर्च होगा जो कि 5 दिन सीधे कार्य में व्यय होगा और 2-4 व्यक्ति घुमावदार कार्यकर सकेंगे। सड़क निर्माण में एक रूपया प्रति मैनेज के रोजगार में धन का व्यय होगा।

इस सम्पूर्ण रोजगार न तो बनावटी और सामान्य विचार है। 1960 में राष्ट्रीय परिषद और संयुक्त अर्थ शासन सर्वेक्षण के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था, कि सन् 1981 में सम्पूर्ण रोजगार प्रदान कर दिया जायेगा। भूमि सुधार को क्रियान्वित करना। केवल कल्पना मात्र मूल्य की स्थिरता, धातु विज्ञान की उत्पादन को एक करना, भारी रसायन उद्यमी बीच की उद्यमी, मशीन भवन और तकनीकी उद्यमी, और परिवहन और शक्ति के उत्पादन की दर 3.45%, 3.63%, 5.55%, 6.34% और 9.1% प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 का खाका, द्वितीय योजना 1956-61, तृतीय योजना 1961-66, चतुर्थ योजना 1966-71, पांचवी योजना 1971-76 और छठी योजना 1976-81 में सब योजनाएँ एक-एक करके सही साबित नहीं हुई हैं। लेकिन यह सब एक विस्तृत योजना पर रोशनी डालती है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ योजना की कमियों पर प्रकाश डालती है—

1। योजना को चलाने के लिए उत्पादन में आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी।

2। बहु राष्ट्रीय देश अपने उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में और आर्थिक और राजनीतिक खतरा देश के लिए घातक होगा।

3। बड़े कृषक रोजगार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूँजी लगाकर तकनीकी युक्त करिन्दादान देना है।

4। उत्पादन की दर में भारी धन में कमी करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। जिसके द्वारा पूँजी को लम्बे समय तक प्रभावित कर सकें।

अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो रोजगार की योजना में वह केवल इसलिए प्रकृतिक स्वरूप है कियह न केवल रोजगार को सुचारु रूप से चलाने और नहीं। इसकी कोई आय है। सरकारी कार्यक्रम स्वयं में अपूर्ण है। बल्कि इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। जिनके द्वारा इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। इसका सबसे अच्छा प्रबन्ध यह होगा कि केन्द्रीय सूचना के द्वारा इसको एक साथ करके केन्द्रीय अधिकार और उसको ही यह उत्तरदायित्व दे दिया जावे, जिससे वह माल की निकाती कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि बहु परिमाण संस्था द्वारा समवर्गीय जो कि केन्द्रीय अधिकार में निहित होगा। एक अच्छा संस्थान के पास सरकार के सब साधन रखा, जो कि एक सख्खक आदत के पास होती है और संस्था उन सभी बेकार की बातों को जो किएक निजी संस्था के पास होती है। उ उन सभी को अनदेखा कर सके। इन्हीं आधारों पर मण्डल में कार्यक्रम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

१।१ लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत है कि गरीब से गरीब लाभार्थी को चयन की प्राथमिकता दी जायेगी, और उसी के अनुसार लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में से यह आवश्यक किया गया है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम की कुली बैठक में किया जाय तथा चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा को सूचना पटल पर ग्रामीणों की समान्य सूचना के लिये चिपकायी जाय। ताकि लाभार्थियों के चयन में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजांइश न रहे। ग्रामीणों द्वारा विश्वसनीय ढंग से दी गई जानकारी के आधार पर कुछ कारण भी सामने आये, जो चिन्ता का विषय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों, अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों की मिली साजिश के द्वारा अधिकारिता: ऐसे लाभार्थियों का चयन कर लिया जाता है। जिनको प्राप्त लाभ उनके नाम पर प्रभावशाली साहूकार, जमींदार या राजनीतिज्ञ प्राप्त करतेहैं। जो लाभार्थी

चुपचाप सम्बन्धित सरकारी एवं बैंक अधिकारियों को मिलने वाले अनुदान राशि से उनका हिस्सा देने के लिये तैयार हो जाते हैं, उन्हें भी चुन लिया जाता है इतना ही नहीं कुछ मामलों में इस बात के भी संकेत मिले हैं जो लाभार्थियों तथा अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित कराने के लिए बाकायदा बिचौलिये कार्यरत है। कुछ मामलों में तो यहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई कि इन बिचौलियों ने यह कहकर लाभार्थियों को आधी राशि दिलवाई कि उन्हें यह श्रृंखला वापस नहीं करना होना और वे अपने प्रभाव से उसे माफ करना देंगे।

2- लाभार्थियों के चयन के पश्चात् उनके लिए परियोजना निर्धारित करने के सम्बन्ध में लाभार्थियों को विश्वास में न लिये जाने तथा उन्हें विभिन्न परियोजनाओं के गुण दोषों तथा लागत-लाभ आदि को पर्याप्त जानकारी न दिये जाने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुई है। लाभार्थियों से बातचीत करने से पता चला है, कि ऐसा अधिकारिता: इस कारण से हुआ है कि बीच के सम्पर्क सूत्रों में लाभार्थियों को मात्र सरकारी पैसा दिलाये जाने का लालच देकर प्रार्थना-पत्रों आदि पर हस्ताक्षर कराये और श्रृंखला राशि का एक अच्छा सा हिस्सा अपने पास रखकर बाकी पैसा उन्हें दे दिया जाये, जिसका एक अन्य कारण यह भी है कि लाभार्थियों को अधिकारिता: ऐसी परियोजनाएँ दिलाई गये, जिनमें कि परिसम्पत्ति के अधिक दिन चलाने की सम्भावना न हो अथवा उससे जल्दी से जल्दी छूट-कारा पाया जा सके अधिकारिता: दुर्धर पशुओं के रूप में दी गई परिसम्पत्ति का अच्छा खासा भाग कुछ ही महीनों के पश्चात् या तो मृत बता दिया जाता है या वास्तव में खरीदा जाता है तो उसे बेचकर मामला रफा-दफा कर दिया गया है।

3- ऐसे बेरोजगार तथा अल्प रोजगार ग्रामीण युवकों जो कि परम्परागत तौर पर अथवा निजी तौर पर दस्तकारी कारीगरी तथा तकनीकी प्रकार की कार्यों में भी रुचि रखते हैं तो पर्याप्त धान से प्रशिक्षित करने की सुविधाओं का सही ढंग से विस्तार नहीं किया गया है। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत जहाँ भी ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र बनाये गये वहाँ केन्द्र

को स्थापित करने के पश्चात् प्रशिक्षण कर्मचारी तथा साज समान जुटाने के लिए सरकारी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अपने गाँवों से दूर इन प्रशिक्षण केन्द्रों में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन ग्रामीण युवकों को दिया जाने वाला भत्ता इतना पर्याप्त नहीं होता है कि वे फिर दीर्घ अवधि तक कुछ सीखने का साहस कर सके। परिणामतः यह युवक अपने पुराने तरीकों से ही कार्य करते हुए इन परियोजनाओं का सही लाभ नहीं उठा पाते हैं।

ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मानवीय संसाधनों के उपयुक्त विकास के लिए चालू की गई द्राइतेमस योजना में सुधार तथा उपयुक्त विस्तार किया जाना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ही ग्रामीण युवकों का भविष्य निर्भर करता है। ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए इन्हीं के द्वारा वास्तविक आधार तैयार किया जा सकता है।

4- सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सत्य भी उभर कर सामने आया है कि लाभार्थियों के लिए विभिन्न परियोजनाओं का चयन करते समय समूह दृष्टिकोण के अनुसार योजना बनाकर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का आवंटन नहीं किया जाता है। ऐसा देखने को मिला है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष प्रकार ही अधिक लोकप्रिय है। एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की परियोजना के द्वारा उत्पादित उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध है अथवा नहीं, तथ्य का आकलन नहीं किया जाता। दूसरी ओर उस क्षेत्र में जिन वस्तुओं की माँग है उनको उत्पादित करने से सम्बन्धित योजनाओं का भी आकलन नहीं किया जाता। एक तरह से कुछ अगर यह कहा जाये कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं का चुनाव बिल्कुल अनियोजित ढंग से किया जाता है तो गलत नहीं होगा। कि कई लाभार्थियों ने उनके द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादन के पूरी तरह से न बिकने की अपनी कठिनाई व्यक्त की है।

इस कार्यक्रम की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न ग्रामीण अंचलों का उच्चस्तरीय अध्ययन करके वहाँ के बच्चे मात्र मानवीय साधनों तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुस्यू कुछ विशेष परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जाने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस कार्य को नियोजित ढंग से करने के लिए निम्न श्रेणी के अग्रलिखित विकास कर्मचारियों से मिलकर रहना उपयुक्त नहीं है।

5- इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को अल्पकाल के लिए ही कुछ मोट्रिक लाभ या रोजगार प्रदान करना ही नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीणों को एक ऐसा आधार तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे कि वे स्वरोजगार के द्वारा अपनी आय में वृद्धि करके गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। और साथ ही साथ भविष्य में निरन्तर आर्थिक प्रोन्नति के लिए एक ऐसा आधार तैयार कर सकें जिससे कि उन्हें किसी प्रकार के बाहरी श्रृण्ण अथवा सहायता की आवश्यकता न पड़े, ऐसा तभी सम्भव है जबकि परियोजना के प्रारम्भ होने के पूर्व लाभार्थियों को परियोजना की विस्तृत जानकारी दी जाये तथा परियोजना के क्रियान्वयन के दौर में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों को तत्परता से निवारण किया जाये। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर यदि लाभार्थी स्वतः अपने व्यवसाय व कार्य में प्रगति करने के लिए कुछ उत्सहित हो तो उन्हें भरपूर प्रोत्साहन एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मण्डल में सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी से यह दुखद पक्ष सामने आया है कि परियोजना के उद्घाटन के दिये जाने के पश्चात लाभार्थियों को यदि परियोजना के क्रियान्वयन के समय कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है तो सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्पर्क स्थापित करने के बाद ही अधिकशतः लाभार्थियों को कठिनाईयों का निवारण नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में जिन थोड़े से लाभार्थियों ने उत्साहित होकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने की या किसी नये कार्य का प्रारम्भ करने की दिशा में कुछ

जानकारी या मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित लोगों से सम्पर्क किया तो उन्हें उपयुक्त जानकारी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

6- प्रशासनिक :- कूपनों का वितरण उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा किया जायेगा न कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में कार्य की प्रगति आयुक्त की देखरेख में और समस्त जिले की सूचनाएँ मुख्य सचिव या सचिव ग्रामीण विकास को देगा , इसके अलावा वह ज्यादा वजन कार्यक्रम कमेटी पर डालेगा, जो स्थानीय लोगों को उसमें भाग लेने के लिए नामकित करेगा । जो जिले की प्रत्येक ब्लॉक को उनके कार्य के बारे में उचित मार्ग दर्शन करेगा और जो कार्य स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया उसकी समीक्षा करेगा ।

7- वित्तीय :- उपरोक्त योजनाके अन्तर्गत जो वित्तीय सहायता दी जायेगी । इसके अलावा वह स्वयं के द्वारा कार्यक्रम में अर्जित की गई हैं। जैसा कि महाराष्ट्रराज्य सरकार के द्वारा जो अधिकार या विशेष कर लगाना या विशेष निर्धनों का विरोध या भ्रष्टाचार के से स्वतंत्रता का वित्तीय शक्ति का दल पंचायत स्तर नीचे तक जाये । ब्लॉक/ जिला स्तर और राज्य के बजट तक में यह सुविधा होनी चाहिए कि उसके द्वारा योजना को उचित ढंग से चलाने के लिए पूँजी की उपलब्धि हो सके ।

=====

॥अ॥ ग्रन्थ :-

- ॥1॥ पेडली०, के० सी० - सरल डेवलपमेन्ट इन मार्डन इन्डिया बी०
आर० पब्लिशिंग कारपोरेशन नई दिल्ली,
1986,
- ॥2॥ देसाई० एस०एस०एम० - फन्डामेन्टलस आफ सरल इक्नोमिक्स हिमालय
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई - 1986 ,
- ॥3॥ गांधीपन इन्सटीट्यूट आफ स्टडीज -
हिस्ट्री आफ सरल डेवलपमेन्ट इन मार्डन इन्डिया,
बोल्डूम, ए०बी०ए०आर डी० नई
दिल्ली इम्पेक्स इन्डिया , 1967 और 1977
- ॥4॥ गंगोली० बी०एन० - प्रोब्लम्स आफ सरल इन्डिया कलकत्ता ,
कलकत्ता यूनीवर्सिटी सिटी , 1966 ,
- ॥5॥ गुप्ता ० ए० पी० - फिस्कल पॉलीसी फार इम्प्लायमेन्ट जेनरेशन
इन इन्डिया , नई दिल्ली टाटा , भैक ग्राओं
हिल - 1977
- ॥6॥ होड़्टो एम० - प्रोब्लम्स आफ अनइम्प्लायमेन्ट इन इन्डिया
बम्बई , एलाइड , 1974 ,

- ॥7॥ इन्डियन इन्सटिट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, सरल डेवलपमेन्ट फॉर दी रुरल
पूअर, धार्मपूर प्रोजेक्ट, अहमदाबाद, 1976,
- ॥8॥ काटजूके०एन० - रुरल डेवलपमेन्ट थू सेल्फ हेल्प, नई दिल्ली
कम्यूनितो प्रोजेक्ट एडमिनिसट्रेशन, 1953,
- ॥9॥ मण्डल० जो०पी० - प्रोबलम्स आफ रुरल डेवलप मेन्ट, कलकत्ता
बर्ड प्रेस, 1961,
- ॥10॥ मजूमदार० एन०ए० - सम प्रोबलम्स आफ अन इम्पलायमेन्ट बम्बई,
पापूलर, 1961
- ॥11॥ मेहता० एस० आर० - रुरल डेवलपमेन्ट पालोसोज एड प्रोग्रामस,
नई दिल्ली, सेज, 1984,
- ॥12॥ नारायण० डी०एल०ईटी०एएल० ॥ई एड॥ पब्लानिंग फॉर इम्पलायमेन्ट
नई दिल्ली, स्टरलिंग, 1980,
- ॥13॥ सेमिनार ऑन रुरल डेवलपमेन्ट फार वीकर सेक्शन, इन्डियन सोसाइटी
आफ एग्री कलचरल इक्नोमिक्स, बम्बई, 1974,
- ॥14॥ सिंहवी एल०एम० ॥ई०एड॥ - अनइम्पलायमेन्ट प्रोबलम इन इन्डिया, नई
दिल्ली, नेशनल, 1977,

॥ब॥ रिपोर्ट :-

- ॥15॥ डिस्ट्रिक्ट रुरल डेवलपमेन्ट एजेन्सो, झांसी, एन०वल एक्सन प्लान,
रुरल लैन्डलेस इम्पलायमेन्ट गारन्टी प्रोग्राम ॥जनरल स्कोम॥
1988-89 ,
- ॥16॥ अण्डर रुरल लैन्डलेस इम्पलायमेन्ट गारन्टी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट -झांसी ,
प्रंचायत राज विभाग ॥ झांसी ॥
- ॥17॥ रिपोर्ट आफ दौ कमेटी आफ एक्सपर्टस ऑन इनइम्पलायमेन्ट एस्टीमेट्स
1970 ,
- ॥18॥ समस्पोशल प्रोग्राम आफ रुरल डेवलपमेन्ट , 1977-78 ,
- ॥19॥ इम्पलायमेन्ट ग्राथ लण्ड बेसिक नीड्स: ए वन बर्ल्ड प्रोब्लम, 1976 ,
- ॥20॥ पावॅरटी एण्ड लैन्ड लेसमेन इन रुरल एशिया, 1977 ,
- ॥21॥ एडमिनिस्ट्रेटिव जेन्स, स्पेशल नम्बर ऑन रुरल डेवलपमेन्ट, जुलाई ,
दिसम्बर 1975 ,
- ॥22॥ ऑन मेसरिंग रुरल अन इम्पलायमेन्ट, जनरल ऑफ डेवलमेंट स्टडीज 14॥3॥
1978 ,
- ॥23॥ डिसोजन - स्पेशल इश्यू ऑन रुरल डेवलपमेन्ट वाल्यूम
6 नम्बर 4, अक्टूबर , 1979 ,
- ॥24॥ कृष्णा राज - अन इम्पलायमेन्ट इन इन्डिया, इकनोमिक
एण्ड पोलोटिकल वोकली, 8 मार्च 1973 ,